लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

4 सितम्बर, 1970 । 13 भाद्र, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
विषय-सूची	प्रथम पंक्ति 'बुधवार' के स्थान पर 'शुक्रवार' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, बुद्धवार, 4 सितम्बर, 1970/13 भाद्र, 1892 (शक)

No. 29, Friday, September 4, 1970/Bhadra 13, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के बारे में	Re. Voting on Constitution (Twenty Fourth Amendment) Bill ..	1
बाढ़ की स्थिति तथा अन्य विविध विषयों के बारे में	Re. Flood Situation and other Miscellaneous matters	4
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	10
दिल्ली दुग्ध निगम विधेयक पुर:-स्थापित किया गया	Delhi Milk Supply Corporation Bill Introduced	10
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त तथा अस्पृश्यता संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motions re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Committee on Untouchability...	11
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	12
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha ...	13
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	17
डा. संकटा प्रसाद	Dr. Sankata Prasad	20
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	21
श्री वि. नरसिम्हा राव	Shri V. Narasimha Rao ...	22
श्री सोनावते	Shri Sonavane	2
श्री मयावने	Shri Mayavan	25
श्री कांबले	Shri Kamble	26
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	27
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ...	28
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	29

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, बुद्धवार, 4 सितम्बर, 1970/13 भाद्र, 1892 (शक)

No. 29, Friday, September 4, 1970/Bhadra 13, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के बारे में	Re. Voting on Constitution (Twenty Fourth Amendment) Bill ..	1
बाढ़ की स्थिति तथा अन्य विविध विषयों के बारे में	Re. Flood Situation and other Miscellaneous matters	4
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	10
दिल्ली दुग्ध निगम विधेयक पुर:-स्थापित किया गया	Delhi Milk Supply Corporation Bill Introduced ...	10
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त तथा अस्पृश्यता संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motions re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Committee on Untouchability...	11
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	12
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	13
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	17
डा. संकटा प्रसाद	Dr. Sankata Prasad	20
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	21
श्री वि. नरसिम्हा राव	Shri V. Narasimha Rao ...	22
श्री सोनावते	Shri Sonavane	2
श्री मयावने	Shri Mayavan	25
श्री कांबले	Shri Kamble	26
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	27
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ...	28
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री गु. च. नायक	Shri G. C. Naik	29
श्री अ. श्री. कस्तूरे	Shri A. C. Kasture	30
डा. मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu ...	32
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki —	33
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	34
श्री बि. प्र. मंडल	Shri B. P Mandal	34
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao	45
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan ,..	45
जल-दूषण निवारण विधेयक	Prevention of water Pollution Bill	33
राज्य सभा की सिफारिशों को संयुक्त समिति को सौंप दिये जाने का प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Join Joint Committee	48
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement on the Flood Situation in the country ... —	50
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad ...	40
पश्चिम बंगाल तथा असम में मछली की सप्लाई में कमी के बारे में चर्चा	Discussion re. Shortage of Fish Supply in West Bengal and Assam	50
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	50

लोक–सभा
LOK--SABHA

शुक्रवार, 4 सितम्बर, 1970/13 भाद्र, 1892 (शक)
Friday, September 4, 1970/Bhadra 13, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए**
Shri Shri Chand Goel *in the Chair* }

संविधान (चौबीसवां) संशोधन विधेयक पर मतदान के बारे में
RE: VOTING ON CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH) AMENDMENT BILL

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : संसद के एक सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के नाम पर मत का प्रयोग करने के प्रश्न पर कल अध्यक्ष महोदय ने जांच कराने की बात स्वीकार की थी। वर्ष 1951 में भी जब अस्थायी संसद के एक सदस्य ने ऐसा किया था तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं एक संकल्प पेश करके तथा सर्वसम्मति से उसे पास करा कर उस सदस्य की सदस्यता समाप्त करा दी थी। आज उन्हीं पंडित जवाहर लाल नेहरू की सुपुत्री-प्रधान मंत्री-के पीछे वाली कुर्सी पर बैठने वाले सदस्य ने डा० पशुपति मण्डल के स्थान पर मतदान किया है। अत: उनकी सदस्यता भी सर्वसम्मत संकल्प के द्वारा समाप्त की जानी चाहिये। जिस जांच का वचन कल अध्यक्ष महोदय ने दिया था उसे तुरन्त पूरा किया जाना चाहिये ताकि संसद पर से लोगों का विश्वास समाप्त न हो। आज भारत के लोग संसद में मतदान पर विश्वास नहीं लाते क्योंकि उक्त ग़लत मतदान सरकार के प्रोत्साहन स्वरूप हुआ। इससे संसद की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम सब इसका समर्थन करते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is the last day of this Session of this house. But no light has been thrown as to what would be the nature of enquiry promised by the hon. Speaker and also as to when this enquiry will start and conclude and whether any hon. Member of this house would also be associated with the proposed

enquiry ? My submission is that all these things should be decided before the proceedings enquiries, so that the hon. members to be associated with the enquiry could be informed accordingly.

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह (छपरा) : श्रीमान, तथ्य यह है कि संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न हो गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि उस दिन पांच बार मतदान हुआ। चार अवसरों पर तो मैंने ठीक मतदान किया परन्तु पांचवी बार जब मैं सभा में दाखिल हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने मत विभाजन की घोषणा की और मैं उसी स्थान पर बैठ गया जहां मैं इस समय बैठा हूं। जब मतदान हुआ तो मैंने अपने सामने वाला बटन दबाया। जब सामने बोर्ड पर चिन्ह आया तो मैंने अपनी दायीं ओर बैठे पंडितजी से कहा कि आपने ठीक से मत नहीं दिया है; तो उन्होंने कहा–"नहीं, तुम ने ठीक से मतदान नहीं किया है।" अतः मैं आगे बढ़कर आया तथा गणना करने वाले से शुद्धि करने को कहा। सभा में शोर बहुत था इस कारण वह मेरी बात पूरी तरह नहीं सुन सके, अतः उन्होंने गलती में सुधार तो कर दिया परन्तु गलत मत को ठीक नहीं कर पाये। यही सही स्थिति है। इस सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम है तो उसका मुझे खेद है। मैंने जान बूझकर कुछ बुरा नहीं किया। आज मुझे ऐसा करना होता तो मैं पहले चार अवसरों पर भी अपने मत का प्रयोग उसी प्रकार करता जैसा पांचवीं बार किया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। जांच के संदर्भ में भी मुझे यही स्थिति रखनी है। अब विपक्ष के नेता चाहे जो समझ लें।

डा० राम सुभग सिंह : मेरी मांग है कि मुदगिल जांच जैसी स्वतन्त्र जांच होनी चाहिये तथा शीघ्र ही होनी चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : No doubt that voting should be done correctly and also that this incident has casted some doubts in the minds of the people in the country. We should not give chance to the people to doubt on our voting so let there be an enquiry and thereafter let the leader of the parties take a decision in this matter. We agree that there have been certain short comings in the begining even in other countries too but our is 20-25 years old democracy and therefore, we should not take any step in haste.

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : Since the hon. Speaker had given his mind yesterday to constitute an inquary in this matter. I do not think it proper to raise this matter today again. We have other items on the Agenda for which this Session has been extended for one day-i. e. today, So let us discuss those items.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि उक्त ग़लत मतदान से मतदान-निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। परन्तु यह पहला अवसर नहीं कि पट्ट पर दिखाई देने वाले आंकड़ों तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित आंकड़ों में भिन्नता पाई गई है। हमेशा ही ऐसा होता है। या तो कोई मेरी गिनती में नहीं आता या फिर मशीनरी ख़राब होती है। और ऐसी भिन्नता प्रायः महत्वपूर्ण मामलों के समय प्रकट होती है। इससे लोगों के दिलों में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। अतः इसकी जांच कराई जानी चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो इस व्यवस्था को ही बदल दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल अध्यक्ष महोदय ने जांच करने की बात स्वीकार कर ली थी फिर आज इस मामले को पुनः क्यों उठाया जा रहा है ? **(व्यवधान)**

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Our doubts were established when the Speaker yesterday reduced the number from 336 to 331. The votes of those Members also who were not present in the House at that time were arocaste. Such things are bound to create suspicion in the minds of the people. Therefore, I request the Government as well as the Lok Sabha Secretariat to avoid such mistakes in future also.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं तो समझता था कि उस मामले के बारे में कल ही निर्णय हो गया था जबकि अध्यक्ष महोदय ने इस मामले पर जांच करने का आश्वासन दिया था। इस बारे में सारे विश्व की तथा समूचे राष्ट्र की आंखें हमारीं ओर हैं। अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं रहने दिया जाना चाहिये। चाहे वे सन्देह मशीनरी व्यवस्था के बारे में हो अथवा कोई अन्य हों।

वस्तुत; तो यही उचित होता कि नियम समिति की बैठक तुरन्त ही आयोजित की जाती तथा मतदान के लिये लॉबी में हम चले जाते।

उसके बाद भी हम आगामी प्रक्रिया के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं। हालांकि अध्यक्ष महोदय की घोषणा को चुनौती नहीं दी जा सकती तथापि लोगों के दिलों में सन्देह रह जाते हैं। हमने इस विधेयक का समर्थन किया है परन्तु हम यह नहीं चाहते कि लोग यह समझें कि हमने अनुचित ढंग से इसको पास कराया है।

मेरे दो सुझाव हैं। एक तो यह कि नियम समिति की बैठक इसी समय होनी चाहिये क्योंकि सत्रावसान के पश्चात् प्राय: ऐसी बैठक नहीं होती। वैसे भी यह मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब एक मामले के बारे में निर्णय हो जाता है तो उसे बार बार उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। बिना सूचना कोई मामला सभा में नहीं उठाया जाये।

मुझे आशा है कि आप अध्यक्ष महोदय तक हमारे ये विचार तथा भावनायें पहुंचा देंगे ताकि वे इस प्रकार के सन्देहों को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करें।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापतनम) : मैंने इस विधेयक का समर्थन किया था परंतु विपक्षी लोगों के दिलों में यह सन्देह नहीं रहना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कुछ गलत बात हुई है। मैं श्री नाथ पाई से सहमत हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि किसी भी प्रकार सन्देह पैदा न हो। अत: इस विषय पर तुरन्त ही जांच की जानी चाहिये ताकि सन्देहों का निराकरण हो।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : यह तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। आज सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो रही है। अत: यह जांच तुरन्त पूरी कर ली जाये तथा संसद कार्य मन्त्री अपना स्पष्टीकरण नियम समिति को दे दें।

श्री एस० कंडप्पन (मैटूर) : दुर्भाग्य से लोगों के दिलों में सन्देह उत्पन्न हो जाने से इस मामले का महत्व मेरी अपेक्षा से अधिक बढ़ गया है। बल्कि जिन लोगों ने इस विधेयक का समर्थन किया है उन्हें और भी अधिक चिन्ता हुई है। मेरा निवेदन है कि नेता गण तथ्यों का

पता लगाये बिना एक दूसरे पर सन्देह न करें। संभव है किसी सदस्य ने अनजाने में यदि कोई भूल कर दी हो; हमें स्वयं को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिये। संसद की प्रतिष्ठा बनाये रखी जानी चाहिये। अतः मैं श्री नाथ पाई के मत का समर्थन करता हूं कि इस सन्देह को दूर करने के लिये नियम समिति की बैठक तुरन्त आयोजित की जाये।

सभापति महोदय : स्थिति यह है कि कल इस विषय पर काफी विचार हुआ था तथा अध्यक्ष ने सभी के सुझाव तथा परामर्श सुनकर जांच कराना स्वीकार किया था। अतः इस विषय को आज फिर उठाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कल के बाद से कोई नई बात पैदा नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय अपने निर्णय से अवगत करा चुके हैं तथा आज भी जो भावनायें यहां व्यक्त की गई हैं मैं उन्हें अध्यक्ष महोदय तक जरूर पहुंचा दूंगा। आगे निर्णय करना उन पर निर्भर करता है। अब श्री ओंकार लाल बेरवा अपनी बात कहेंगे।

बाढ़ की स्थिति तथा अन्य विविध विषयों के बारे में
RE. FLOOD SITUATION AND OTHER MISCELLANEOUS MATTERS.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उड़ीसा में भयंकर बाढ़ के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं, वैतरणी नदी और लूना नदी में बाढ़ के परिणामस्वरूप केवल एक जिले में 2 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और कई गांव जलमग्न हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? क्या बिहार जाने वाला दल उड़ीसा भी जायेगा ताकि वहां की बाढ़ग्रस्त स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके तथा प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत पहुंचाई जा सके।

श्री से० ब० पाटिल (बागलकोट) : मैंने बीजापुर में नाव दुर्घटना के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, हाल के वर्षों में यह देश की सबसे भयंकर दुर्घटना है, भय है कि कृष्णा नदी के तेज प्रवाह में 90 बच्चे बह गये हैं, यह दुर्घटना दूसरी बार हुई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : सभा को दक्षिण बिहार में बाढ़ स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था। हमें सूचना मिली है कि उत्तरी बिहार में सूखा पड़ा हुआ है और इससे लगभग 60 लाख व्यक्ति प्रभावित हैं। सरकार इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कर रही है और क्या दक्षिण बिहार को जाचने वाला दल उत्तरी बिहार का भी दौरा करेगा अथवा वहां पर एक पृथक दल भेजा जायगा ?

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं सरकार का ध्यान भागलपुर में बाढ़ग्रस्त स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ, बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत देने के लए कुछ प्रबन्ध किये जाने चाहिए।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : There is hardly any motion session in which reference has not been made to flood situation. The floods are becoming more devastating day by day. So I want to know whether the Government will set up a commi-

ttee to enquire into the cases and findout remedy for it. The Ghagra river assumes such ruined proportion during floods that is inundates several districts and villages. The more the Government does to control the more devastation it brings. Unless investigation is made, no solution will come out.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Due to high floods in Narmada river in Hosangabad the life has been dislocated. I will request the Government to find out some ways to solve the problem. Relief work should be started in the flood affected areas immediately.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : जम्मू और काश्मीर में बादल के फटने से बहुत हानि हुई है, हाल ही में पुच्छ क्षेत्र में बादल के फटने से दो गांव पूरी तरह से बह गए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को विशेष अनुदान दे ताकि वह पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास कर सके।

Shri Sheo Narain (Basti) : We belong to that area where seven rivers flow. The Rapti river assumes high proportion during floods. There was a scheme to control the Ghagra river but nothing has been done. It is a matter of request that we had to face difficulties during British regime but even now the same thing is going on. I want that Rs. 80 crores should be spent on it to control the floods.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : My district is on the Nepal border. All the rivers coming from Himalayas pass through my district. According to a letter received by me that due to high floods in Gandak river the supporting wall of the dam has been washed away and the whole area has been submerged. The whole area around Boodhy Gandak river and Bagmati river has been devastated by the floods. I want that the Government should pay attention to this situation.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के बारे में सभा पटल पर दो विवरण रखे गये थे परन्तु तब से अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़े आई हैं, चूंकि संसद स्थगित होने वाली है; अतएव मंत्री महोदय से अनुरोध किया जाये कि वे जान-माल की हुई हानि तथा दी गई राहत के बारे में विस्तृत वक्तव्य दें ताकि सदस्य स्थिति के बारे में अवगत रहें।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : विस्तृत फसल बीमा योजना का एक प्रस्ताव था जिसके अन्तर्गत बाढ़, सूखा आदि जैसे विषय आते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने 6 अगस्त और 26 अगस्त को दो बार वक्तव्य दिया था, यदि वे इस विषय पर और जानकारी देना चाहते हैं तो वे मध्यान्ह पश्चात् वक्तव्य दे सकते हैं।

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : I have heard the views of hon. members. They want to keep them after with the latest position in regard to devastation caused by the floods during the last two or three days. But it is very difficult to place full information in such a short period. My suggestion is that the complete statement regarding devastation etc. would be placed before the house in the next session.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I understand the difficulties of the hon. Minister. My suggestion is that a meeting of members of parliament may be called during Inter session period to discuss the matter.

Shri Siddheswar Prasad : We will try to call the meeting of Consultative Commitee attached to the Ministry of Irrigation and Power during Inter Session period.

Shri Nath Pai (Rajapur) : The view of the hon. Minister does not conform with the proposal of Shri Vajpayee. Many parts of the country have experienced floods. We want that a meeting of members from the concerned states should be called during Inter Session period and that they should be acquainted with measures being taken by the Government in this regard.

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह एक अच्छा सुझाव है कि सम्बन्धित व्यक्तियों की, जिनके क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, एक बैठक बुलाई जाये जिसमें वे अपने विचार रख सकें।

Shri Siddheswar Prasad : The members who discuss to attend such a meeting may inform us and we will invite them to the meeting.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कोई भी मंत्री महोदय के पास जाकर यह नहीं कहेगा कि बैठक बुलाई जाये, इस तरह से काम नहीं चलता है। वे उपलब्ध होने वाली सूचनाएं आज ही सभा के स्थगित होने से पूर्व सभा पटल पर रखें।

Shri Siddheswar Prasad : It is not possible.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह सम्भव क्यों नहीं है, यह उत्तर देने का तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं। यह एक गंभीर समस्या है, यदि आप उन सदस्यों की, जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया है, बैठक बुलायें तो यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : यहां सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय उप-मंत्री अपने वरिष्ठ साथियों से इस बारे में चर्चा करेंगे ताकि स्थिति के बारे में मालूम किया जा सके। उन पर शीघ्र उत्तर के लिए दबाव डालने से कोई लाभ नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वे राज्य सरकारों से उपलब्ध जानकारी मध्यान्ह पश्चात ले सकते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं कि यह संभव नहीं है। क्या वे संबंधित क्षेत्रों से पिछले दो-तीन दिन की सूचना केन्द्रीय स्तर पर एकत्रित करने में असफल हो गए हैं ? यहां बाढ़ की गंभीरतम स्थिति बनी हुई है और मंत्री महोदय कहते है कि वे उत्तर नहीं दे सकते हैं। वे मध्यान्ह पश्चात हमें उपलब्ध सूचना दे सकते हैं पर वे ऐसा क्यों कहते है कि सूचना नहीं दी जा सकती है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : The Central Government should have up-to-date information regarding the floods in the country. If the Government say that they cannot give information, it means that they lack up-to-date information. My submission is that they may place the information before the house by getting it through wireless.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि 7 तारीख को सभा की बैठक बुला ली जाये ।

Shri Kedar Paswan (Rosara) : The entire surplus water has been released in four areas of Darbhanga district i. e. Ghanshyampur Weerola Parkhan, Kusheshwa Parkhan and Hasanpur Parkhan. Water of Balam Dam and Kareh Dam has also been released in this area. As a result of which four lakh acres of land has been adversly affected and the several houses have been collapsed. People belonging to the area are starving but nothing has been done so far by the Government in this regard .I do not understand what sort of enimity against the people of that area is perpituated in the mind of the hon. Minister or the Government.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Sir, the area of Hosangabad has been inundated by Narmada river. Military have been called out to help the people. I request the hon. Minister to collect the information from the Military authorities and make a statement by the evening in this regard.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : Sir, it is the unanimous demand of the House that the hon. Minister should make a statement on the flood and draught situation of the country.

Shri N. T. Das (Jamuvi) : Sir, in the Khagaria sub-division water of eight rivers falls in Ganga river as a result of which that area has become flood ravaged. Central Government have set up a study team. I request that they should furnish full details regarding the loss of life and property accurred in that area.It is the third time that Jamui Sub Division has become the victim of drought. I request the hon. minister hat adequate number of tubewells should be installed in that area.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I request the hon. Minister that he should at least give that much information which he has at present. He may acquaint the hon. members by past with the information which he might collect after the session is over.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): I have already stated that whatever information have got with me at present I will certainly give it to the House. **(Interruption)** I will not be able to furnish complete information today.

So far as the matter of drought is concerned it is related to the Ministry of Food and Agriculture. This information can be sought from that Ministry, Matters pertaining to floods are the subject matter of the State Government. Information given by us is based on the information received from the concerned State Government. I feel we will not be able to receive full information from the State/Government by the time the session is over and that is why I have said that it is not possible for me to furnish the complete information today. However, whatever information is received by me I will certainly place it before the House.

श्री के. सूर्यनारायण (सल्लूरु) : महोदय ! मैं चौथी योजना में नये सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । सरकार ने देश में 36 सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये हैं । किन्तु सरकार ने अपेक्षित लोहा तथा इस्पात सप्लाई करने का प्रबन्ध नहीं किया । मशीनों के निर्माता उनके 15 लाख से 20 लाख रुपयों तक अधिक मूल्य मांग रहे हैं । अत: मेरा निवेदन है कि सरकार लोहे तथा इस्पात की सप्लाई का प्रबन्ध करे ।

दूसरी बात यह है कि यदि यह कारखाने समय पर चालू नहीं होते तो उससे सरकार को राजस्व में 50 लाख रुपयों का घाटा होगा। यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे अंश-धारियों और उत्पादकों को भारी घाटा हो रहा है। गत वर्ष भी किसानों को गन्ने की फसल को गलाना पड़ा था क्योंकि वर्तमान कारखाने गन्ने के पूरे उत्पादन का उपयोग करने में अक्षम थे। अतः मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से तुरन्त वक्तव्य चाहता हूँ।

सभापति महोदय : इस्पात मंत्री श्री ब. रा. भगत इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। संसद कार्य मंत्री ने आपकी बात सुन ली है। अतः वे सम्बद्ध मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कह देंगे। **(व्यवधान)**

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : महोदय ! मंत्रीगण यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अतः यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के मामले उठाते जायेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य उचित रूप से जानकारी दें तथा मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये उपस्थित रहें। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गौंडा) : महोदय ! मैं आपकी अनुमति से लोक महत्व का एक मामला उठाना चाहती हूं। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रूस ने पाकिस्तान को 200 बड़ी तोपें और 50 टैंक (टी–54–55) सप्लाई किये हैं। इस समाचार की युद्ध नीति अध्ययन संस्थान के निदेशालय ने पुष्टि की है। अतः हम इस समाचार को सत्य मानते हैं। इस सप्लाई से देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा। हम इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): So far as the matter of Russian maps is concerned it appears that Russia wants to satisfy communist China at any cost. It has appeared in the Newspapers that Russia has supplied arms in large quantities to Pakistan. It leads to insecurity on our territory. Government should take the house in confidence and try to see that this arm supply do not go against the security of our country.

Shri Molahu Prasad (Bausagaun) : We should meet tomorrow to discuss this matter **(Interruption)**.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : With your permission, Sir, I request the hon. Minister that he should make a statement on the arrest of 16 persons of Samajwadi Yuvjan who were coming to give a memorandum to the Speaker here. I also request that the prohibitory order under section 144 regarding the meetings around the building of Parliament should be withdrawn.

श्री नाथपाई (राजापुर): महोदय ! सम्भवतः आपको याद होगा कि सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्बन्ध में देश में हुई घटनाओं के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी। उस समय प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रपति भवन तथा राज्यपालों के निवास स्थानों पर भिन्न प्रकार की ध्वजाओं से सम्बन्धित मामलों की जाँच की जायेगी। उन्होंने बताया था कि मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई जायेगी।

महोदय ! इसी बीच तमिल नाडु राज्य में एक बहुत गम्भीर घटना घटी जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ कुत्ते के चित्र से युक्त झंडा फहराया गया था। यह घटना अत्यन्त गम्भीर तथा चिंताजनक

थी। अतः मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार मुख्य मंत्रियों से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करने से पहले विपक्षी दलों के नेताओं से भी परामर्श करेगी ? मैं इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज का मामला ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री कोई निर्णय करें।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Sir, I want to suggest that the hon. members should give their important points to the hon. speaker in black and white and he should fix a period of one hour in the evening so that concerned Ministers could reply. It will save the time of the house as it is the last day of the session.

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोंड) : महोदय ! श्री नाथपाई ने जो प्रश्न किया है उसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है। इसका संसद तथा देश की स्वाधीनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की इसमें कोई बात नहीं है। मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र प्रधान मंत्री के साथ शिष्ट व्यवहार और सम्मान का ही प्रतीक है। राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में पूरा अधिकार है। इस बात में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान या राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करते हुये यदि कोई राज्य अपना प्रथक प्रतीक रखना चाहे तो उसमें कोई विरोध की बात नहीं समझनी चाहिये तथा ऐसी मामूली बातों में उलझकर तमिल नाड़ के मुख्य मंत्री के बारे में गलत धारणाएं नहीं उत्पन्न करनी चाहियें।

श्री नाथपाई : सभापति महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया था कि तमिल नाडु के मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के बीच जो भी पत्र व्यवहार हुआ था उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा। महोदय ! मैं उस निदेश के बारे में जानना चाहता हूं।

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Sir, I request you that the discussion on the matter relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be started soon otherwise we will not allow you to proceed.

श्री हो. ना. मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : महोदय मेरा सुझाव है कि इस समस्या पर इस समय विचार विमर्ष करने की वजाय सरकार श्री नाथपाई द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में वक्तव्य दें। इस मामले पर तामिलनाडु सरकार पर बिना कोई आक्षेप लगाये विचार विमर्श किया जा सकता है तथा मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Sir, I want to submit that the time allotted for discussing the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is being wanted. We can not tolerate this thing ?

श्री स. मो. बनर्जी : महोदय ! मैं बस आधी मिनट का समय चाहता हूं। गृह-कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, अतः मेरा निवेदन है कि वह दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य दें जिन्हें अभी तक सेवा में बहाल नहीं किया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कृषि पुर्नीवत निगम का वार्षिक प्रतिवेदन
(हिन्दी संस्करण)

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से कृषि पुर्नीवत निगम अधिनियम, 1963 के अधीन कृषि पुर्नीवत निगम, बम्बई के 30 जून, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4161/70**]

दिल्ली दुग्ध निगम विधेयक
Delhi Milk Supply Corporation Bill.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के अर्जन, वितरण और विक्रय प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना का तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के अर्जन, वितरण और विक्रय के प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना का तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्द्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

श्री ज्योतर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : दूध के उत्पादन का क्या बना ? माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि दिल्ली दुग्ध निगम दूध प्राप्त कर रहा है तथा उसका वितरण कर रहा है। सरकार केवल न्यूजीलैंड से प्राप्त घटिया किस्म का दुग्ध चूर्ण वितरित कर रही है। सरकार दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? डेरी विकास योजना की उपेक्षा की गई है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) I oppose this billl. The recommendation of the President was not necessary in this case.

The object of this bill will not be served by it. Government is going to convert the Delhi Milk Scheme into a Corporation. Representatives of the workers must be included in it otherwise the very purpose of the bill will be defeated. It is a public sector undertaking and the workers must be allowed to participate in it.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : विधेयक पर विचार करते समय इससे प्राप्त होने वाली बातों पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न संशोधनों के रूप में उठाये जा सकते हैं और हम उन पर विधेयक पर चर्चा के समय विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के अर्जन, वितरण और विक्रय के प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना का तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपवन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदनों तथा अस्पृश्यता समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव–जारी।

Motion Re. reports of the Commission for Schedule Castes and Schedule Tribes and report of the Committee on untouchability.

सभापति महोदय : श्री पी. गोविन्द मेनन द्वारा 20 मई, 1970 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार अर्थात् "कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के 16 वें, 17 वें और 18 वें प्रतिवेदनों पर जो क्रमश: 24 अप्रैल, 1968, 15 मई, 1969 तथा 30 मार्च, 1970 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।" और श्री सूरजभान द्वारा 20 मई, 1970 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार अर्थात् "कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग 1-5) तथा सम्बद्ध दस्तावेजों पर, जो 10 अप्रैल, 1969 को सभा- पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये।"

Shri Suraj Bhan (Ambala) : There should not be any discrimination in the application of law in India. It is unfortunate that Harijans get indifferent treatment in India.

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण संक्षिप्त में दें। मैं माननीय मंत्री से सांय तीन बजे उत्तर देने के लिये कहूंगा। अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर 6 घंटे की बजाये 3 घंटे तक बहस करने का विनिर्णय दिया है।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : समय के निर्धारण के बारे में निर्णय तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक नियम 338 को विलम्बित न किया जाये और सभा के मूल निर्णय को बदला न जाये। मैं इस बारे में निश्चित विनिर्णय चाहता हूं।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) The hon. member does not like that the hon, Minister should make a statement in this regard. Hon. Speaker has given the ruling that this subject should be discussed for three hours. **(Interruptions)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय से सलाह करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि मछली की सप्लाई के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत 3 बजे चर्चा की जायेगी। इस विषय पर एक घंटे चर्चा की जायेगी।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : इस सम्बन्ध में विलम्ब करने की चाल को हम सहन नहीं करेंगे।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : Discussion on this subject should be held according to the position existing at that time. Ten hours were allotted for discussion on patents Bill. But discussion on it was finished earlier. If no member is willing to speak on this subject up to 3. P. M. or 4. P. M. hon. Minister may reply to the debate. There is no need of suspending the rules.

श्री सेझियान (कुम्बकोनम) : श्री सोनावने ने बहुत ही उचित प्रश्न उठाया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिये सत्र को एक दिन के लिये बढ़ाया गया था। लेकिन कार्यसूची में शामिल न किये गये विषय पर डेढ़ घंटे से अधिक समय बरबाद किया गया है।

Mr. Chairman : Hon. Minister must reply to the debate today otherwise all that discussion will be of no use.

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : I am doubtful whether some relief can be given to Harijans in the present circumstances unless article 355 is abolished from the constitution. Harijans are not going to get any facilities.

During the last 20-22 years Castism has been a great problem. This disease of Cashism should be cured.

Harijans are in very bad condition. I will request them that they should not follow the bad habits of people belonging to some high castes.

Harijans are very poor people and they depend mainly on begging. I request that their problem should be considered carefully and article 355 of the constitution should be removed. Harijans, backward people, poor people, women Muslims and Adivasis should be given special facilities. Question of qualifications should not be brought to the matter. Posts should be filled according to their populations. The country cannot make any progress unless these people have the feeling that they have some position.

Government should not make so many promises. It should make a promise that during the next twenty years some Harijans will be the Prime Minister or the President of India. Harijans should be given high posts in the country.

About 14 crore acres of land is lying unused in the country. But the Government is not prepared to allot it to the Harijans only the powerful person can be the owner of the land.

It is very strange that the servant working on Prime Ministers' fram gets only Rs. 80 per month. It is a great injustice to the people of India. I want that the people of the country should criticise this policy of the Government so that such thing may not be repeated.

श्री बासुमतारी (कोकराझार) आपने बताया था कि मंत्री महोदय सायं 4 बजे बोलेंगी। हम चाहते हैं कि उनसे पहले प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री उत्तर दें।

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री दोपहर बाद बोलेंगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : सदन में इन दो प्रस्तावों पर काफी समय से चर्चा की जा रही है और सरकार इस अवसर का स्वागत करती है (अन्तर्बाधाएं) प्रधान मंत्री अभी दूसरे सदन में व्यस्त हैं और वे दोपहर बाद बोलेंगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी मामले को सरकार बहुत महत्वपूर्ण समझती है । उनके लिये सेवा में स्थानों को आरक्षित करने के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों के बारे में मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को सेवाओं में उनका उचित हिस्सा देने की सरकार की नीति रही है । सरकार इन सब लोगों का आदर करती है ।

Shri Shiv Charn Lal (Firozabad) : I want to know why the Harijans are not directly appointed in the service ?

श्री रामनिवास मिर्धा : इस बात को ध्यान में रखकर भर्ती सम्बन्धी नीति निर्धारित की जाती है कि इन पिछड़े वर्गों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें । 25 मार्च 1970 से आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि कर दी गई है । अनुसूचित जातियों के लिये पहले $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाते थे अब इस प्रतिशत को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है । अनुसूचित आदिम जातियों का आरक्षण भी 5 से बढ़ाकर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है । यह सुझाव दिया गया है कि तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों के लिये आरक्षण 50 प्रतिशत कर देना चाहिये । केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण नहीं होता अपितु सेवा-मुक्त आपात कमीशन प्राप्त तथा अल्पावधि कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये भी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में और भूतपूर्व सैनिकों के लिये तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण होता है । आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्पावधि कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये 20 और $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच अरक्षण होता है और भूतपूर्व सैनिकों के लिये तीसरी श्रेणी के पदों में 10 प्रतिशत और चौथी श्रेणी के पदों में 20 प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने देवदासन के मामले में कहा है कि सभी श्रेणियों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । इस समय जितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है उसमें और वृद्धि करने के लिए कोई गुंजायश नहीं है । इसके अतिरिक्त सरकारी रोजगार में आरक्षण को नियम की अपेक्षा अपवाद समझना चाहिये और हमें यह भी देखना है कि कुछ प्रतियोगिता भी हो जिसके माध्यम से कुछ अच्छे उम्मीदवार नियुक्त किये जा सकें । वह ठीक है कि इस समय सरकारी कर्मचारियों की कुल सख्या को देखने से पता चलता है कि इन जातियों की प्रतिशतता अधिक नहीं है, परन्तु इस स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है । इन सामुदायों के उम्मीदवार उच्च पदों पर भी नियुक्त किये जा रहे हैं । वर्ष 1964 से लेकर सभी आरक्षित पदों को भरा गया है और इसी प्रकार उच्च सेवाओं में उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है ।

यह मांग की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 335 को हटा दिया जाये क्योंकि इसमें सबके लिये अवसर उपलब्ध नहीं है इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्ष 1964

से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा आदि के लिये सभी आरक्षित पद इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों से भरे गये हैं।

श्री बसुमतारी (कोकराझार) इलाहाबाद, मद्रास और पंजाब में तीन पूर्व-परीक्षा केन्द्र हैं। हम मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि दूसरी श्रेणी की सेवाओं के लिये भी इसी प्रकार के तीन परीक्षा केन्द्र खोले जायें।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I would like to point out that even well qualified persons belonging to these communities are not being recruited. Only paper work is being done.

Shri Ram Niwas Mirdha : I am placing before the house the orders issued from time to time safeguard all these things.

इस सम्बन्ध में पहले ही इस आशय के अनुदेश जारी किये जा चुके हैं इन समुदायों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिये स्तर को इतना कम किया जाये कि उसका प्रशासन की दक्षता बनाये रखने में कोई कमी न आये। किसी पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का उपयुक्त होना अनिवार्य है। उपयुक्त का सिद्धांत इन समुदायों की तुलना में सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अधिक कठोरता से लागू किया जाता है। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में निर्णय कर सकते हैं। इससे अधिक न्यायोचित कोई तरीका नहीं हो सकता।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रतिनिधित्व मिले। सभी राज्य सरकारों ने श्री यार्डी की अध्यक्षता में बनाये गये कार्यकारी दल की इस सिफारिश क स्वीकार कर लिया है कि भर्ती करने वाले प्राधिकार जैसे राज्य लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये।

हाल ही में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि अन्य निकायों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

उपयुक्तता के सिद्धांत की परिभाषा बदल दी गई है। यह कहा गया है कि यदि आरक्षित पदों को भरने के लिये अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो आरक्षित कोटे में इस कमी को पूरा करने के लिये अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को इस शर्त पर चुना जाना चाहिए कि वे उस पद विशेष के लिये अनुपयुक्त न हों।

Shri Om Prakash Tyagi : Will the hon'ble Minister give an assurance that no Candidate from the general side will be recruited against the reserved posts and those posts will be kept vacant like the candidates of scheduled castes/scheduled tribes are available ?

Shri Ram Niwas Mirdha : In this connection it may be pointed out that the quota used to be kept vacant from two years but now this period has been extended to three years. The standard for suitability has also been lowered.

Shri Suraj Bhan (Ambala) I may be allowed to put question afterwards.

Shri Om Prakash Tyagi : It was his son who has been declared unsuccessful here.

श्री राम निवास मिर्धा : प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त अन्य माध्यम से की जाने वाली भर्ती के लिये आरक्षित पदों के विज्ञापन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। पहले विज्ञापन में केवल उन्हीं समुदायों के उम्मीदवार आवेदन पत्र भेज सकेंगे जिनके लिये वे पद आरक्षित हैं। यदि कोई रिक्त स्थान है तो विज्ञापन में लिखा जायेगा कि केवल अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवार आवेदन-पत्र भेजें। अत: पहले विज्ञापन में अन्य उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र पर विचार ही नहीं किया जायेगा। यदि भर्ती करने वाली संस्था आरक्षित समुदाय में से किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त न समझे तो दूसरा विज्ञापन जारी किया जायेगा जिससे आरक्षित समुदाय तथा अन्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगवाये जायेंगे। अन्य उम्मीदवारों को तभी भर्ती किया जायेगा यदि आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार उपयुक्त न समझे गये। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के साक्षात्कार के लिये अलग दिन रखा जाये या कम से कम चयन समिति की अलग बैठक में उनका साक्षात्कार किया जाये जिससे उनका मुकाबला सामान्य उम्मीदवारों के साथ न किया जाये। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के लिये ये विभिन्न उपाय किये गये हैं। इस सम्बन्ध में हाल ही में आदेश जारी किये गये हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : We want an assurance that the reserved posts will not be filled by the recruitment of candidates from General side **(Interruption)**.

Shri Ram Niwas Mirdha : We are giving all the concessions keeping in view the criteria of suitability as provided in the Indian constitution.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : It has been pointed out that a harijans candidate was rejected when he appeared as scheduled caste candidate and some candidate was selected when he appeared as candidate we are to the general side. In view of this how can we agree that justice is being done to us **(Interruption)**.

श्री रामनिवास मिर्धा:—जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद हैं तो विज्ञापन में लिखा जायेगा कि केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार आवेदन-पत्र भेज सकते हैं और आशा है कि उस विज्ञापन के परिणामस्वरूप वे पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे।

Shri Molahu Prasad (Banagaon) May I know those recommendations of Personal committee which are being accepted and those which are being rejected alongwith the ground of their rejection ?

श्री रामनिवास मिर्धा : एक कार्यकारी दल ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों के आरक्षण तथा पदोन्नति द्वारा पदों को भरने सम्बन्धी

मामले पर विचार किया था और उनकी सिफारिशों को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निम्न पदों में क्रमशः 15 और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद आरक्षित होंगे :—

(क) दूसरी-तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों या सेवाओं के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पद जिनमें सीधी भर्ती के लिये, यदि कोई व्यवस्था है तो 50 प्रतिशत से अधिक न हो, प्रथम श्रेणी के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि ऐसे पदों के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा नहीं ली जाती है।

(ख) दूसरी तथा चौथी श्रेणी के ऐसे पद चयन द्वारा भर्ती जिनमें सीधी भर्ती की व्यवस्था यदि कोई हो, तो 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

कार्यकारी दल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उच्च पदों के लिए योग्यता की शर्त आवश्यक है जिनके लिये उद्यम सूझबूझ और प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है और कहा हैं की पदोन्नति सम्बन्धी क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार को पदोन्नत किया जाना चाहिये। उन्होंने सिफारिश की है कि दूसरी श्रेणी के लिए पदोन्नति करते समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को ऐसे गैर-अनुसूचित जाति के कनिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त नहीं कर लेना चाहिये जो उनकी अपेक्षा केवल एक दर्जा अच्छे पाये गये हों। इसका अर्थ यह है कि किसी कनिष्ठ अधिकारी को अनुसूचित जाति सम्बन्धी अधिकारी के स्थान पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह उससे एक दर्जे से अधिक योग्य न हो। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

सभी मंत्रालयों को ये आदेश दिये गये हैं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी उपक्रमों में भी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन किया जाये। अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप 1-8-70 को 178 सरकारी उपक्रमों में से 168 उपक्रमों ने आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन करना स्वीकार कर लिया है। अन्य उपक्रमों के साथ भी विचार विमर्श किया जा रहा है। कुछ उपक्रमों को ऐसोसिएशन के अनुच्छेदों में संशोधित करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रशासनिक मंत्रालयों को भी पत्र भेजे गये हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूर्णरूप से ध्यान रखा जायेगा और हमें आशा है कि उपर्युक्त आदेशों का पालन करने से हमें सभी सम्बन्धित वर्गों से सहयोग मिलेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok-Sabha reassembled after luch at Fourteen of the Clock.

{ **श्री क. ना. तिवारी पीठासीन हुए** }
{ **Shri K. N. Tiwary** *in the chair.* }

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : इण्डियन एयर-लाईन्स के कर्मचारियों ने "धीरे काम करने" की नीति अपना रखी है जिसके फलस्वरूप अनेक उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और बहुत यात्री कठिनाई में पड़ गये हैं । अतः मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं । तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों के लिये खोसला समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है । परन्तु ऐसा पता लगा है कि तकनीकी कर्मचारियों को कुछ राहत दी गई है । दूसरे हम लोगों को विमानों में स्थान नहीं मिलते हैं और लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है । अतः इस बारे में भी मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें ।

Shri Ramavater Shastri (Patna) Clearance has been held up for the last few days in all the nationalized banks at Patna becaues the management has dismissed many of the bank employees and their leaders. The hon. minister should intervene in the matter so that the work could be normalised in those banks and all the dimsissed or suspended employees could be taken back.

Mr. Chairman: All the points have been recorded and will be sent to the hon. ministers concerned.

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : 22-23 वर्षों के बाद भी यह दावे से नहीं कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता देश से पूर्णरूप से खत्म हो गई है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग देश के अन्य लोगों के स्तर तक पहुंच गये हैं । यहां तक कि जिस तरीके से इन प्रतिवेदनों पर इस सदन में एक मुस्त विचार किया जाता है इससे भी यही पता लगता है कि सरकार इस मामले को महत्वपूर्ण नहीं समझती । सरकार इस मामले पर प्रति वर्ष विचार करने के बजाय तीन वर्ष के प्रतिवेदनों पर कुछ ही दिनों में जल्दी-जल्दी विचार करती है । यहां तक कि विपक्षी दल के लोग भी इस मामले को महत्व और उच्चतम प्राथमिकता नहीं देते, सरकार की तो बात ही क्या है । अतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की अनेक वर्षों पुरानी समस्याओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

श्री ज्योतिमय बसु

सभापति महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई भी वक्तव्य अथवा भाषण सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : हमारा सरकार के इरादों के प्रति कोई झगड़ा नहीं है । किन्तु केवल इरादों से ही कुछ नहीं बन पाता जब तक उनको ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाये ।

---

* * Not recorded.

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

संविधान की धारा 335 को समाप्त करने की मांग की गई है, परन्तु इससे भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दक्षता बहुत आवश्यक है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को अवसर नहीं दिया जाए। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है कि उनको पूरा अवसर क्यों नहीं दिया जाता। फिर भी हम कहते हैं कि उनको पूरा अवसर दिया जाता है। शताब्दियों से उनको समाज में समान स्तर तक पहुँचने से वंचित रखा गया है और इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वे दूसरे लोगों की तुलना में शिष्टाचार परम्पराओं और रीति रिवाजों को ग्रहण नहीं कर सके हैं। इसलिए उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अन्य लोगों के समान परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों। मौखिक परीक्षायें तो उनके लिए और भी अधिक कठिन हैं। इसलिए जहां तक इन जातियों के लोगों का सम्बन्ध है मौखिक परीक्षायें अथवा साक्षात्कार की पद्धति समाप्त होनी चाहिए। इसलिए यदि ये व्यक्ति निर्धारित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको बिना मौखिक परीक्षा के ही नौकरी मिलनी चाहिये।

यदि इन जातियों के व्यक्ति किसी नौकरी के लिए निर्धारित कम से कम शैक्षिक योग्यता प्राप्त हैं और नियोजक फिर भी उन्हें उस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं मानते तो नियोजकों को इन व्यक्तियो का चयन न करने के प्रमाण देने चाहिए। सरकार को इन व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिए जिससे कि ये लोग नौकरियों के लिए उपयुक्त तथा सक्षम बन सकें।

ऐसा सुना गया है कि अन्य जातियों के लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए सेवाओं में आरक्षण प्रणाली का विरोध करते हैं, परन्तु उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यदि आरक्षण नहीं किया गया तो ये लोग कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह तो वास्तविक कार्य है जिनसे इन लोगों को क्षमता और दक्षता मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये लोग कभी समाज के समान स्तर तक नहीं आ सकेंगे। इनको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिल सकेगी। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को चाहिए कि वे वास्तव में कुछ कार्य करें और ऐसा तभी हो सकता है जब वे सेवाओं में आयें। इन लोगों को सब प्रकार के पदों के योग्य बनाने तथा अवसर और लाभ पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, और इसके लिए अनिवार्य उपबन्ध होने चाहिए।

जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है इन जातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति नहीं की जाती। मेरे अपने मन्त्रालय में ऐसे कई मामलों में मेरा ध्यान दिलाया गया और मामलों की जांच करने पर पता लगा कि इन लोगों से सम्बद्ध दस में से आठ मामलों पर इन समुदायों के लोगों पर अन्याय किया गया था। मेरे आग्रह करने पर ही इन लोगों की पयोन्नति की गई। इन लोगों की शिकायतें हैं कि पदोन्नति सम्बन्धी समिति इन्हें पूर्णरूपेण योग्य नहीं समझती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ऐसा कहने वाली समितियों को समाप्त कर दे। यदि मन्त्री महोदय रुचि लें तो इन कमियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए पदोन्नति सम्बन्धी समितियों को इस बारे में आवश्यक निदेश दिए जाने चाहिए।

शिक्षा के सम्बन्ध में यह सच है कि इन जातियों के लोगों में अब पहले से कहीं अधिक शिक्षित व्यक्ति हैं। परन्तु देश में ऐसी आदिम जातियां भी हैं, जिनमें एक प्रतिशत भी शिक्षा

नहीं है। स्त्री शिक्षा तो इससे और भी कम है। यदि ऐसी स्थिति है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि इन जातियों के लोग स्वयं अपनी हैसियत में प्रगति करके ऊंचा उठ सकते हैं। जिससे उन्हें सबके साथ समान अवसर मिल सके। अतः समान अवसर के बल खैरात देने मात्र से ही नहीं दिये जा सकते। इससे कोई सहायता नहीं मिलने वाली। हमें इन लोगों को अन्य लोगों के समान पूर्ण दक्ष एवं सक्षम बनाना चाहिए। इन लोगों में दक्ष बनने की क्षमता है। परन्तु वे उसे प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए गुजरात की तरह अन्य राज्यों में भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए जो इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से देख सके।

स्कूलों में शिक्षा के मामले के बारे में वर्षों पूर्व अनुसूचित जातियों के छात्रों को अन्य छात्रों से अलग बैठाया जाता था और उन्हें दूसरे छात्र स्पर्श तक नहीं थे। यदि इन जातियों के बच्चे स्कूल नहीं जाते तो यह उनका दोष नहीं है क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता। इसलिए ऐसे नियम बनाने चाहिये कि यदि किसी गांव में वहां अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उन स्कूलों को बन्द कर दिया जाए। उच्च जाति के लोगों को चाहिये कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हरिजनों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिले, उन्हें योग्य बनाया जाए और वहां जाने के लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये। इसी तरह से अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का शोषण रोकने हेतु सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का सुधार करने तथा उनको ऊपर उठाने की विशेष जिम्मेदारी भारत सरकार की है और तभी राज्य सरकारें भी ऐसा कार्य कर सकती हैं जबकि केन्द्रीय सरकार उन पर निगरानी रखें।

अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि सेवाओं के बारे में जितना कार्य होना चाहिये था उतना नहीं हो सका है और उन्होंने इस बारे में स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न भी किया है। इस मामले में जब तक जिम्मेदार अधिकारियों को दण्ड नहीं दिया जायेगा, किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता।

हमने अस्पृश्यता निवारक अधिनियम बनाया है जिसके अन्तर्गत अस्पृश्यता एक अपराध है। परन्तु इस अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित न करने के लिये किसी अधिकारी को दण्ड नहीं मिला है। इस गांधी शताब्दी वर्ष ने, अस्पृश्यता उन्मूलन करने के सम्बन्ध मे सब राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से विचार किया गया था कि वे इस बारे में जिलाधीशों को अनुदेश दें और यदि कहीं अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया गया है तो वे इस बुराई को समाप्त करने के लिए उचित कार्यवाही करें। इसलिए जब तक ऐसी कोई कड़ी कार्यवाहियां नहीं की जाती तब तक तथाकथित अस्पृश्य व्यक्तियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। अतः हमें इन लोगों की अधिकतम सहायता करनी चाहिये और हमें अपने पुराने पाप कर्मों को धो डालना चाहिए।

संसद को यह देखना चाहिये कि अनुसूचित जातियों और अनुसुचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन की सिफारिशों को सरकार उचित रूप से कार्यान्वित कर रही है अथवा नही, और यदि किसी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है तो उस पर गम्भीरता से पुनः विचार करना चाहिए और इस सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सका। इसके लिए किसी प्रकार का बहाना नहीं सुनना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी

तो अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं होगा। इस बारे में हम सरकार को दोषी तो ठहराते हैं परन्तु क्या कभी हमने यह भी सोचा है कि क्या हमने भी इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही की है। इसलिए हम सबको अस्पृश्यता का उन्मूलन करने तथा अनुसुचित जातियों और अनुसुचित आदिम जातियों के लोगों का शोषण तुरन्त रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Suraj Bhan(Ambala) : At I. P. M. we were gievn assurance that the Home Minister will give reply to our points. But while replying the hon. Minister did not reply to our points. I am happy that the hon. Prime Minister is going to give reply but unless these points are noted by her she will not be able to give reply to our points.

Mr Chairman : There is no point of order in it. Please sit down.

Shri Suraj Bhan : Please get our points repeated by the hon. Minister.

Mr. Chairman : Please do not waste time sit down.

Shri Suraj Bhan : **

Mr. Chairman : Nothing will be recorded. I am calling Shri Sankata Prasad.

Shri Sankata Prasad (Misrikh) : The problem of scheduled castes and scheduled tribes is a star on the head of India. Impossioned speeches are given both in side and out side the house but they are shedding only crocodile tears.

Government can not help the Harijans without making changes in our economic structure. I do not know why Government are not prepared to make changes. I do not say that nothing has been done for their welfare but what has been done is far from satisfaction. The scheduled castes and scheduled tribes people are now conscious about their rights and are fully prepared to face the injustice being meted out to them by the high caste people.

Untouchability is a legal offence under the provisions of our constitution. But it is still practised in the villages. Harijans are not allowed to draw water from wells. They are not allowed to enter the temples. Harijans find it extremely difficult to get accomodation in cities. Our Hindu society is not prepared to assimilate them. That is why Harijans are adopting other religions. There is a social and economic necessity which is compelling the Harijans to change their religions...

Government boasts much of reservation and it is said that reservation is not being filled from among the S. C. and S. T. people because suitable candidates are not available. A child of high caste family is taught in montessory schools and is given the facility of tutors. He gets nutritive food. On the other hand a child of low caste family is not given any facility. How can we get suitable candidates ? Therefore, my suggestion is this that the condition of suitable candidates should be removed and a Harijan candidate should be selected if he fulfils the minimum requirements of qualifications.

Poverty is the root cause of all evils. A Harijans leaves cloth for others but lives poorly clad. He produced food grains but he hardly gets two square meals a day. A terrible economic disparity is prevailing in our country. A Harijan must get his share out

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

of the thing produced by him. Grants would not help unless arrangements are made for therein come permanantely, their economic condition can not be dislocated. The eyes of the Harijans are fixed on the Government. No doubt the hon. Prime Minister is making some efforts but hurdles are being laid by the other side of the House. I thank Mr. Suraj Bhan for his having moved this motion but he should know that the party to which he belongs can not do any good to Harijans.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। इसको दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सामाजिक असमानता का प्रबल कारण परम्परा से चलता आया रवैया है। आज हमें इसको बदलना है। सरकार इस मामले में काफी कुछ कर सकती है और प्रयत्नशील है। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि केवल सरकारी आदेशों से इस बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों की सहमति तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से ही सामाजिक कायापलट किया जा सकता है। यह कार्य एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है और सभी राजनीतिक तथा अराजनीतिक दलों तथा लोगों के प्रचार-कार्य से ही सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। परन्तु हम जानते हैं कि इस प्रकार की आदतें, जो कि लोगों के दैनिक जीवन का अंग बन चुकी हैं, परिवर्तित करने में समय लगता है और साथ ही ऐसा कार्य कष्टमय भी होता है। हमारा वैधानिक ढांचा और राजनीतिक संस्थाएं केवल परिवर्तन और प्रगति को प्रभावशाली बना सकते हैं, उसे पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। हमें चाहिए कि हम सदन के बाहर भी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहें और आवश्यक उपाय करें। शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में तथा जीविका प्राप्त करने में बड़ी कठिनाईयां हैं। अतः हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सही प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें अध्ययन और विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाए। मेरा विश्वास है कि यदि कोई छात्र शिक्षा के पूर्ण स्तर तक नहीं पहुँचा है तो उसका कारण पैतृक कमजोरी नहीं बल्कि सुविधाओं तथा अवसरों का अभाव है। अतः उन्हें पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। मैंने अभी शिक्षा की प्रगति की बात कही। जैसा कि सदन को ज्ञात है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के 91 लाख से ऊपर मैट्रिक पूर्व छात्रों को तथा लगभग 12 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं। इस वर्ष 1.88 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। कहा गया है कि मैट्रिकोत्तर छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर में वृद्धि नहीं की गई और जीविका साधन जांच की उच्चतम सीमा नहीं बढ़ाई गई। माननीय सदस्य जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों की जीविका साधन की जांच नहीं की जाती। अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर लगभग शिक्षा मत्रालय के राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना की दर के समान है। अतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियां सामान्य जनता के योग्य छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बराबर है। वित्तीय संसाधन इतने कम हैं कि छात्रवृत्तियों की दर बढ़ाने की अपेक्षा अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति देना अधिक अच्छा होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचार की घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं। सरकार को इस मामले में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और दोषी को कड़ी सजा देनी चाहिए। शायद माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद् में साम्प्रदायिक एकता पर चर्चा करते समय हमने हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव, उनकी नौकरियों, जीवन सुरक्षा तथा सम्पत्ति की समस्या को दूर करने के

लिए किए जाने वाले उपायों के प्रश्न को भी शामिल किया था। सुझाव दिया गया है कि दोषी को जुर्माना किया जाए। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भूमिहीनों में से अधिकांश अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जन-जाति के हैं। अतः भूमि सुधार के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। भूमि-वितरण के समय हमें जंगलों की भूमि को भी ध्यान में रखना चाहिए। जंगल की कुछ भूमि पेड़-पौधों तथा जंगली जानवरों के लिए छोड़ देनी चाहिए और शेष भूमिहीनों में बांट देनी चाहिए। यदि समस्त जंगल काट दिए जाते हैं तो इससे वर्षा होने तथा जलवायु पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही देश की जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह समस्या केवल विशेष जाति की नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र की समस्या नहीं ? इसी प्रकार आवास की समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुविधा दी जा सकेगी परन्तु शुरूआत तो की जा सकती है और की जानी चाहिए।

श्री शिव नारायण : आप गृह-मंत्री हैं। मार-पीट हो रही है, कत्ल हो रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह अनुभव करती हूं कि यह चिन्ता का ही नहीं खेद का विषय भी है लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ किए जा रहे अत्याचार शर्मनाक हैं। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों का यह कर्त्तव्य है कि उनके क्षेत्र में जहां कहीं भी साम्प्रदायिक भावना पनपती दिखाई दे, उसकी सूचना सम्बद्ध प्राधिकारी को दें और इन मामलों में सचेत रहें। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहती पर यह सच है कि जब समाज में जातिगत भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो प्रभारियों के मन में भी वैसी भावनाएं पनपने लगती हैं। अतः हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि भारतीय नागरिकों के दिल से जातिगत भावनाएं निकाली जाएं तभी वे अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का सही उपयोग कर सकते हैं।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) Hon. Prime Minister stated that there are financial difficulties in providing scholar ships for the Harijans. But what is the propriety of appointing Raghuvar Dayal commission for Central Government employees. ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय मंत्री उन सभी विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देंगे जो इस समय पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार फिर बचन देती हूँ कि देश में समानता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगी।

श्री वी० नरसिम्हा राव (पार्वतीपुरम) : मन्त्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि पिछले 23 वर्षों के कांग्रेसी शासन के दौरान केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने इन पिछड़े वर्गों के विकास एवं प्रगति के लिए कुछ नहीं किया गया। इन वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए आयुक्त की रिपोर्ट में कई अच्छे सुझाव हैं। सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जाए जिससे उनकी अवस्था सुधरे।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के सम्बन्ध में कई राज्यों में नियम हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी जमींदारों से ली गई भूमि गरीब काश्तकारों को नहीं बांटी गई। इससे साफ है कि राज्य सरकारें इस बारे में इन वर्गों के हितों की उपेक्षा कर रही है।

×मूल तेलगु के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

गिरिजनों को वित्तीय सहायता देने के लिये स्थापित सहकारी समितियां उन्हें सहायता नहीं दे रहीं।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और शैक्षणिक रियायतें दिये जाने की बात प्रधान मन्त्री ने कही है। मेरा यह अनुरोध है कि सेवा आयोगों के सन्मुख परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के लिए आने वाले इन वर्गों के उम्मीदवारों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाए अन्यथा इन वर्गों के वस्तुतः योग्य विद्यार्थियों के लिए धनाभाव के कारण ऐसा करना कठिन होगा।

पदों के लिए विज्ञापन अंग्रेजी के समाचार पत्रों में ही नहीं प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों में भी छपने चाहिए। इससे सरकार को चुनाव के लिए अधिक उम्मीदवार सामने होंगे।

मेरे चुनाव क्षेत्र पार्वतीपुरम में तीन गिरिजन खण्ड हैं। सब प्रयत्नों के बावजूद उन लोगों की अवस्था वहीं है जो कि इन खण्डों की स्थापना से पूर्व थी। कम्यूनिस्टों के प्रभाव से यदि वे नक्सलवादी बन गये तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिये। गिरिजनों के लिए विशाखापत्तनम में सरकार ने एक सहकारी समिति स्थापित की पर उसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। गिरिजनों को इस समिति से कितनी सहायता प्राप्त हो रही है इसे देखने के लिए इस सहकारी समिति के कार्यकरण की जांच होती रहनी चाहिए।

सरकार ने आदेश दिये थे कि जनजाति विकास खण्डों की पंचायत समितियों में अधिकतर गिरिजन होने चाहिएं। इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट से डिग्री प्राप्त की गई और कुछ गैर-गिरिजन समितियों में चुने गये। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उचित आदेश दे।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : इस बहस को 20 घंटे तक बढ़ाने के लिए इस सदन का और हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए सरकार का मैं अति आभारी हूं। प्रधान मन्त्री के बोलने के लिए हम उनके आभारी हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उनका भाषण अत्यधिक हतोत्साही था। संसद में अपने लम्बे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि काम उस ढंग से नहीं हो रहा जिस ढंग से होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त का विभाग केवल सांख्यिकीय ब्यूरो है। आंकड़े एकत्र करने, रिपोर्टों के संकलन व राष्ट्रपति एवं संसद के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने से अधिक उनकी उपयोगिता नहीं। इससे अधिक यह विभाग कुछ नहीं करता। विदेशी मुद्रा विभाग में जिस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय है मैं समझता हूं उसी प्रकार सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इसमें भी एक निदेशालय होना चाहिए। यदि यह विचार सरकार को पसन्द है तो वह इस दिशा में कदम उठाये। अन्यथा इस विभाग द्वारा लगाया जा रहा सारा समय और धन सब व्यर्थ है।

जो लोग सेवाओं में हैं उनसे प्रतिदिन असंख्य शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन लोगों की गोपनीय रिपोर्टें खराब कर दी जाती हैं। इसी कारण से उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती। न मालूम वह दिन कब आएगा जिस दिन उच्च वर्ग लोगों के दिलों में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए सहानुभूति की भावना उत्पन्न होगी ?

यह बताया जाता है कि योग्य व्यक्ति भरती के लिए उपलब्ध नहीं। परन्तु भरती करने वाले तो वही लोग हैं जो इन लोगों का शोषण करते हैं। अतः उनसे न्याय किस प्रकार मिल सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का एक प्रतिनिधि लोक सेवा आयोग में नियुक्त किया जाता है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र तथा राज्य स्तर के लोक सेवा आयोगों में कम से कम 50 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के सदस्य हों जिससे कि स्थिति में प्रभाव सुधार हो सके।

जैसा कि श्री मोरार जी भाई ने भी कहा है मौखिक परीक्षा या जबानी परीक्षा नहीं होनी चाहिए और यदि उनमें न्यूनतम अर्हताएं हों तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।

शिक्षा सुविधाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो रहा है। परन्तु जीविका साधन जांच बहुत से लोगों के रास्ते में रुकावट है। इसके कारण शिक्षा सुविधाओं, छात्रवृत्तियों आदि से बहुत से बच्चे वंचित रह जाते हैं। इस प्रथा को जल्द समाप्त होना चाहिए या वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाया जाए।

देश की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां हैं। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में इनके विकास के लिए केवल 142 करोड रुपये की राशि नियत है। जो कि कुल योजना की राशि का लगभग 0·6 प्रतिशत है। मेरा सुझाव है कि इस राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को तंग किए जाने, उन पर अत्याचारों आदि की कहानियां हम प्रतिदिन सुनते हैं। पता नहीं यह सब कब रूकेगा। इन लोगों द्वारा बुद्ध धर्म, ईसाई मत आदि स्वीकार करने पर जनसंघ के लोग शोर मचाते हैं। परन्तु वास्तविक रूप से वे भी अपना रुख नहीं बदलते। इस बात को देखने के लिए कि इन वर्गों के लोगों पर अत्याचार समाप्त हों और उन्हें न्याय मिले हर राजनैतिक दल को अपने दल में एक विशेष प्रभाग बनाना चाहिए।

संविधान सब क्षेत्रों में हमें समान अवसर प्रदान करने की बात कहता है। परन्तु इस सम्बन्ध में जो भी कहा जाय वह कम है।

इन लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कई ढंग हैं परन्तु सहानुभूति की कमी है। अधिकारियों एवं मंत्रियों में अभिरुचि नहीं। प्रत्येक विभाग और प्रत्येक मंत्रालय में पर्याप्त अवसर हैं। परन्तु सहानुभूति के न होने के कारण कुछ नहीं किया जाता।

प्रेस का भी इस क्षेत्र में पर्याप्त योग है। संसद की वे प्रेस–दीर्घाएं जो अन्यथा भरी रहती हैं इन लोगों की समस्याओं पर विचार के समय अधिकतर खाली होती हैं। इन वर्गों पर हुए अत्याचारों को बताने तथा यहां के भाषणों का पर्याप्त प्रचार प्रेस को करना चाहिए।

सरकार तथा अन्य वर्गों के लिए अभी भी इस सम्बन्ध में कुछ करने का अवसर है। यदि पर्याप्त सुधार न लाए गए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

यह समस्या बहुत भयंकर है और यदि स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो यह लोगों तथा समुदाय के लिए हानिकर सिद्ध होगी।

* **श्री मयावन** (चिदाम्बरम) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त का प्रतिवेदन हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है और परिपाटी यह रही है कि सदन में उस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाती है। आयुक्त द्वारा इन जाति के आर्थिक और सामाजिक स्थिति मे सुधार लाने के लिए जो सिफारिशें प्रस्तुत की जाती है, सरकार उस पर केवल कागजी कार्यवाही करती है। और व्यवहारतः कोई कार्रवाही नहीं करती। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 15, 16,335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए शैक्षणिक और रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद संख्या 333 इन जातियों के कल्याण से सम्बन्धित है इन सबके बावजूद भी इन जातियों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यदि आयुक्त की सिफारिशों पर सही रूप से व्यवहार में लाया गया होता तो इन वर्षों के भीतर उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। 1961 की जनगणना के अनुसार 90 प्रतिशत हरिजन कृषक हैं और वे 6 लाख गांवों में फैले हुए हैं। ये कृषक 6 महीने काम करते हैं और शेष 6 महिने बेकार रहते हैं। यदि वे आर्थिक प्रगति के योग्य होते तो अस्पृश्यता का विरोध अवश्य करते। सरकार को उनकी आर्थिक प्रगति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विधान सभा की 3563 सीटों में से 503 सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को दी गई है। लोकसभा के 521 चुनाव क्षेत्रों में से 77 सीटें इन जाति के लोगों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। इस पर भी 22 वर्षों के बाद इलाया पेरुमाल समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए केवल 20 घंटे का समय दिया गया है और वह भी लगातार नहीं। इससे पता चलता है कि सरकार इन जाति के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में रुचि नहीं रखती। समाचार-पत्रों में रोज समाचार छपते हैं कि हरिजनों की हत्या की जा रही है और उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में 1122 हरिजन मौत के घाट उतारे गए। फिर भी माननीय सदस्य चुप होकर बैठे हैं। जब रेल-दुर्घटना में व्यक्ति मारे जाते हैं तो मंत्री महोदय को त्याग-पत्र देने के लिए कहा जाता परन्तु बड़े खेद की बात है कि इस मामले में मंत्री महोदय को त्याग-पत्र देने की मांग क्यों नहीं की गई ? शायद सरकार हरिजनों को आदमी नहीं समझती। समाचार पत्र हरिजनों के साथ किए जा रहे अत्याचार की घटनाए छापते हैं लेकिन चूंकि सरकार इन लोगों को महत्त्व नहीं देती इसलिए समाचार-पत्र भी अब कम रुचि लेने लगे हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए पेय जल, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने मिलकर पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 2·19 करोड़, 5·71 करोड़ तथा 3·79 करोड़ रुपये व्यय किए। इसी प्रकार 1966-67 से 1968-69 के बीच 2·28 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 10 करोड़ लोगों के लिए गत 18 वर्षों में केवल 13·91 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इससे पता चलता है कि सरकार ने इन जाति के लोगों के कल्याण पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि कृषि पर। स्वतन्त्रता से पूर्व हम बर्मा से चावल आयात करते थे पर अब हम लगभग इस मामले में आत्म-निर्भर हैं। आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई जिला कार्यक्रम बनाएं परन्तु इन जाति के लोगों कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया।

हम बार बार यह दोहराते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसमें जातिगत भेदभाव का कोई स्थान नहीं। इसके बावजूद भी हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-

* मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

जातियों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे। इन लोगों के लिए जीविका का अवसर बहुत ही कम है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सुरक्षा सेवा जैसी कुछ सेवाएं ही हैं जहां इनको सीधे रोजगार दिया जाता है। यहां तक कि रेलवे पुलिस दल में भी इन्हें रोजगार नहीं दिया जाता। ऐसा देखने में आया है कि देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट जाति के लोगों को मन्दिरों में पुजारी बनाया जाता है। परन्तु तमिलनाडू में द्रविड़ मुन्नेतर कड़गम ने एक ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार किसी भी जाति का व्यक्ति मन्दिर का पुजारी बन सकता है। मेरा सुझाव है कि ऐसी प्रक्रिया सभी राज्यों में अपनाई जानी चाहिए। न्यायपालिका में शायद ही ऐसा कोई न्यायाधीश होगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का हो। मै अनुरोध करता हूँ कि न्यायपालिका में इन जातियों के लिए पद आरक्षित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में भी पद आरक्षित किए जाने चाहिए। इन जाति के लोगों के लिए अलग कालोनी बनाने की अपेक्षा एक मिली जुली कालोनी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार की जाति के लोग रहते हों ताकि वे समाज में मिल जुलकर रह सकें और उन्हें पेय जल तथा बिजली आदि की समस्या का सामना न करना पड़े। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही करेंगे।

Shri Kamble (Latur) : Mr. Chairman, Sir, I do not want to go into the details of the report on scheduled castes and scheduled tribes which is under discussion for the last many days but I would confine my self to the economic, social, educational and politrcal aspects only. So far as economic aspect is concerned, those people who economically are not will off have to face so many difficulties in different walks of life. Harijans and A-adivasis were provided land between two to eight acres. But Government did not provide required agricultural. implements consequently they had to sell their lands unless Government provide agriculatural implements they can not make improve thier economic condition. So I want that while providing land to landless Harijans and Adivasis Government must provide irrigation facilities and other agricultural impots.

Regarding employment I may say that there are first grade and second grade services where posts are filled up by promotions but quota of reservation has not been fixed, Four years back this was brought to the notice of the Government but the action taken by them in this regard is still unknown. Unless there is reservation for promotions also Harijans can not make progress. In the Government services quota of reservation has been increased from 12 percent to 15 percent. But it has generally been noticed that-inspite of reservation quota is not exhausted. I request that Government should see that quota should be exhausted.

After nationalisation of banks it was stated that small scale industries would be given aid but I would like to know from the Government whether they have any scheme of small scale industries of the Harijans and the Aadivasis.

If so, how many industries have been made available to them and if there is any list of such industires it may be laid on table of the house. Unless the Harijans go to technical side they can not make progress. My suggestion is that the children of Harijans and Aadivasis should be encouraged admission to technical colleges and instiutions and also granted scholarships. 12-15 percent Harijan students should be employed in small scale industries after giving them training in technical schools. It is really a deplorable state of affairs that the poor people who do not get jobs are also denied

financial assistance for starting some industry. They have nothing to do except to wander on roads. and die of hunger. Government should see that adequate arrangements are made for such people. The amount of schloarships which the Harijans and Aadiavasi students were getting 15 years bade have not been increased. Government should raise the amount of scholarships as there has been a steep rise in prices.

Untouchability is still being practised. Harijans are not allowed to enter the temples or to draw water from the wells. In the year of Gandhi Centenary celeberations several Harijans were murdered. Gandhiji dedicated his life to the cause of Harijans but now in human atrocities are perpetrated on them. What a contradiction of thinking in our Hindu religion. A man who believes in Hindu religion hates Harijans but when these Harijan change their relegion and become Christian or Mohammdun he welcomes them, That is why the Harijans are adopting other religions. Government should bring forward a bill for providing condign punishment to those who treat the Harijans despicably. But only law would not help Government will have to organise a campaign through radio pamphlets and films against the pople who hate Harijans.

Regarding social inequality, my suggestion is that Harijans domestic servants should be kept in the homes of cabinet as well as State Ministers. Similarly in hotels and railway restaurants Harijans cooles should be kept so that peopie may think that Harijans are also part of their society. It is the only way to remove social inequality.

Regarding eradication of untouchability I would say that Government should ensure application of punishment to those people who prevent Harijan from entering the temples. In parliament and legislative assemblies, there is reservation for Harijans and the scheduled castes. Reservation should also be made in the Rajya Sabha Panchyat Samitis and District councils.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, even after 23 years of independence, we are discussing the problems of scheduled castes and scheduled tribes. As a matter of fact we should have made some basic changes in their economic social and cultural life by this time. The little bit which has been done is absolutely insufficient to solve the basic problems of Harijans ahd Adivasis. The basic problem of these people is that they should be made self sufficeint economically. The surplus hands of big zamidars or landlords should be acquired by the Government and distributed among the landless. Harijans of late, there has been an awakening amongst the members of scheduled castes and scheduled tribes They are now asserting their right to land. But. they are made victims of the atrocities of the Zamidars and land owners. A number of schedled castes and scheduled tribes persons have been brutally murdered, In fact 1112 Harijans have been brutally murdered in different states for various reasons. But there has been no adequate inquiries Government should see to it that persons committing crimes against these hopless people aie condiguly unpunished.

The percentage of reservations for scheduled castes and scheduled tribes candidates should be increased and this should be strictly inforced. There are no housing facilities for Harijans. It has been pointed out in a number of reports but still nothing has been done in this regard. This needs immediate attention.

The number of Harijans in the army is very small. Their percentage in army should be increased considerably. The scholarships which are being given to Harijans are just nominal. Their number and amount should also be increased.

The Housing problem of these people is also very important. The lands of tribals and Harijans are being grabbed by money lenders in Bihar. They should be given

proper protection against this high landedness. The lands should be returned to them. In urban areas a Harijan or an Adivasi should not be disposed of the land which he is occupying irrespective of the fact, whether that land is owned by Government or a private individual.

I hope due consideration will be given to my suggestion so that problems of these people could be solved.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Mr. Chairman, Sir, even after 23 years of freedom, the bare necessities of life have not been made available to the persons of scheduled castes and schedule tribes. It is a matter of shame for an independent country. The Harijans of this country work day and night but still they can not make both ends meet. Even after being the victims of the atrocities of Zamindars and land owners for centuries together they call themselves Hindus. No similar example can be found in the history of any other country of the world. As a matter of fact no serious attention has been paid to their grevancies by the Government or by any political party. Whatsoever. On the other hand every body in this country has worked for vested interests. The land grab movement was suppressed by state and central Governments.

The Perumal Committe has submitted a solid report after a lenthy survey. Even today, Harijans are not permitted to visit temples in Mysore. It was announced by the Chief Minister of Madhya Pradesh that land will be given to Harijans but the poor harijans were pushed to a place where there was no land at all. In Uttar Pradesh even today, people are subjected to forced labour. In Hyderabad, the Harijans are not allowed to take water from wells. So many similar examples can be quoted, It is very humble request that hon. Minister should pay due attention to all these things.

Untouchability has not been defined in our constitution. It has been defined in perumal committee report. It has been stated about the untouchability Act that ever since its enforcement only one man has been fixed and that too only two rupees. Is it your law ? The people who violate untouchability act should be find Rs. 500 with six months imprisonment whatever has been done by Government is in the forms of segregation such as Harijan Hostel Harijan well and Harijan colonies etc. This sort of segregation has rather harmed the ieterests of Harijans. Now if the Government remains indifferent towards them they will be forced to take law into there own hands and Government will have to face the consequences.

I am of the view that a separate Ministry should be constituted under the charge of a scheduled caste Minister who should see that the scheduled caste persons get proper attention and justice from the Government.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : The Elayepermal committee has made very valuable recommendations. If these recommendations are implemented by the Government the condition of scheduled castes and scheduled tribes can be considerably improved. We hardly bother about the religious faith of our respectable President.*

The untouchability is still wide spread in the Country, Unless caste system is uproorted, we can not eradicate untouchability.

There are certain objectionable remarks in Hindu religious books which are against the scheduled castes, Unless these remarks are removed and age-old traditions are given up, hatred against Harijans can not be eliminated.(**Interruption**)

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*Expunged as ordered by the Chair

Mr. Chairman : Now your speech will not be recorded your time is over, Please resume your seat and do not disturb any more,

Shri G. C. Naik (Keonjhar). Mr. Chairman, Sir, I would express my strong feelings regarding the plight of Harijans and Advasis an this occasion. Almost all political parties whether they are ruling parties or in the opposition are guided by profit motivest. They do not work sincerely for the uplift of Harijans and Adivasis. In Orissa now our paty is in power. During the previous congress regime. There were only one cabinet Minister and the deputy Minister from among the Adivasis. But at present in our Government there are two or three Cabinet Ministers and from Harijans and three cabinet Ministers from Adivasis. In addition to them, there are two deputy Ministers from Adivasis, thus out of the total 19 ministers, there are 7 Ministers from our communities, Nevertheless, we are for from satisfied with this. We want that our present facilities must be given to us. Gradually our faith in the leaders of various parties is eroding, because they are virtually exploiting us. In article 46, there is a provision for the promotion of educational and economic interests of the weaker sections of the people as well as for the prevention of exploitation. But today what we see is that the poor Harijans and Adivasis are ruthlessly exploited. The labour leaders collected funds from the toiling millions out of which half the amount goes into the leaders pockets. In the labour field, mostly there are Harijans and Adivasis. Their reasonable demands are not pressed upon. There is our other problem. The adivasis are being displaced from the mining areas. But these displaced persons are not provided with either land or any means of livelihood. As a result of this most of them have become mere wanderers. The most pathetic aspect of this problem is that their efforts to secure job in those mining industries met with utter failure. In Orissa and Bihar this is the condition prevailing to day.

In fact the various labour unions under the patronage of various politial parties, are least interested in the uplift of the labourer. The Wage Board in MMTC has given the award which brings a lot of benefit to the labourers. In the mining industres Keriburh and Vollani, thousands of labourers are employed. Out of the total amount of interim granted to the labourers, which comes in lakhs, fifty percent was taken away by the labour union leaders in colusion with the management for pocket expenses and another twenty five percent was given to unions and lastly only the remaining 25 percent was given to the labourers. This is the game that these people play there. Hence I strongly demand that an enquiry should be instituted into these matters...**(interruption)**. I challange their union to repudiate these charges. They are singly indulging in 'big talk' and at the same time are exploiting the poor workers.

I want the Harijans and Adivasis to be provided with better facilities of first rate education. Then only can we ward off the evils of untouchability and castism. Our planners should have devoted their attention towards this matter. What kind of planning we have ? It is not tune with the imperative socail needs. Unless the Harijans get good education, their economic conditions can not be improved.

An honorable lady member has just now said that the Adivasis have not even sufficient cloths to wear. They have neither sufficient clothes nor proper accommodation in my constituency the juang and Bhuean both are Adivasis are economically and educationally very backward. Even after twenty three years of freedom and democratic rule only two members of Bhuean community could become graduates. In the juang community there is not one individual who passed matriculation, Among the two graduates from the Bhuean community, one was appointed as District labour officer in state Government service. But soon some people played a hoax on him and his service records were spitefully tampered with. Consequently he was reverted as Assistant

labour officer. But when our party came into power, the matter had become so complicated that we could not help it.

Hence I reiterate the charge that these people have adopted a policy of exploiting them. They only shed crocodila tears in the name of Adivasis **(Interruption)**...I want to knowwhat specified measures have been taken under univarious provision of the constitution for the uplift of welfare of the Harijans. Untouchability Act was passed. But even after 16 years it is being openly practised. Therefore my humble submission is that the Government must take it seriously and spare no efforts to eliminate social inequality and such social maladies.

The most urgent thing that we want is educatian. Only through proper education can we improve our living conditions. The post matric scholarship is inadequate and also each and very section is not being benefited by this. Therefore my suggestion is that the distribution of scholar-ship should be made community wise. Among the Harijans there are as many as 1209 communities. Among the Adivasis also there are not less than 579 communities. Therefore the scholarships shlud be distributed eommunity wise and region wise so that each and every community may be benefited what is being done today is only a force. Government should stop indulging in slogan mongering and think seriously over this vital issue so that a large section of the population may get relief from their age old references of social economic and education inequality.

श्री अ० श्री० कस्तूरे (खाम गाँव) : आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसी-लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान के एक अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। 1955 के छुआछूत अधिनियम में छुआछूत का व्यवहार करने वालों को दंड देने की व्यवस्था की गई है। इन सबके बावजूद भी, हरिजन और आदिवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के 23 वर्षों के बाद भी दुखद परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। जाति-हिन्दू अच्छूत का पालन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्त आयुक्त को हर वर्ष अच्छूत की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। 1966–67 में अच्छूत के 2,98। मामले आयुक्त को प्राप्त हुए। इन मामलों से पता चलता है कि हरिजनों के साथ जाति हिन्दुओं का किस प्रकार का व्यवहार चल रहा है।

पहली शिकायत में कहा गया है कि मथुरा जिले के एक गांव में जाति हिन्दुओं ने हरिजनों की एक बरात को मुख्य मार्ग से जाने नहीं दिया। जब पलिस हरिजनों की रक्षा के लिए आ पहुंची, तो इन जाति हिन्दुओं ने उन पर हमला किया। पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक दूसरी शिकायत यह थी कि उत्तर प्रदेश के ही मेरठ जिले के एक गांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को जाति हिन्दूओं ने खूब पीटा क्योंकि उसके कपड़े का कोना एक जाति हिन्दू के शरीर को छू गया था इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के अन्य लोगों को जाति-हिन्दुओं ने बहुत तंग किया और उन्हें खेत में जाने से रोका, और यहां तक कि उनके पशुओं को खेतों में चरने भी नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों को पुलिस में मामला दर्ज करने पर भयानक परिणाम की धमकी भी दी गई।

मै कुछ अन्य घटनाओं की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गांव में जाति हिन्दुओं ने हरिजनों के कुए पर जबरन कब्जा किया। जब हरिजन महिलायें पानी भरने के लिए चली, तो उनकी मटकी तोड दी गई और उन्हें पानी भरने नहीं दिया गया। पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बजाए हरिजनों

से दूसरा कुआं बनाने के लिए कहा। यह शिकायत भी की गई है कि जाति हिन्दुओं न नये कुए का निर्माण भी रोक लिया और हरिजनों के पशुओं को जल की टकी से जो कि उनकी अपनी थी, पानी पीने से रोका। एक अन्य घटना दिल्ली में हुई। दिल्ली की सरकारी कालोनी में रहने वाले एक हरिजन के साथ अपने पडोसी ने जो कि एक जाति हिन्दू हैं और जो भारतीय सरकारी प्रेस में काम करता है, अच्छूत का व्यवहार किया। तत्काल की गई जांच ने इसकी पुष्टि की है।

इस प्रकार की घृणित घटनायें दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। केन्द्रीय सरकार के पीठ-पीछे, राजधानी दिल्ली में भी अच्छूत की घटनायें घटती हैं। मगर इनमें से कितने लोग शिकायत कर सकते हैं ? जो शिक्षा प्राप्त एवं धीरज रखने वाला है, केवल वही अपनी शिकायत लिखकर भेज सकता है। जो अशिक्षित एवं जाति हिन्दुओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे कैसे शिकायत कर सकते हैं ? वे अपनी कठिनाइयां किस से कहेंगे ? यह एक गंभीर समस्या है। मुख्य बात यह है कि छुआछूत के व्यवहार का आरंभ तथा कथित पवित्र ग्रन्थों जैसे स्मृति और संहिता से है। इन पवित्र ग्रन्थों में अछूत के व्यवहार को वैध माना गया है। अगर सरकार इस घृणित व्यवहार को जड़ से उखाड फेंकना चाहती है, तो सब से पहले इन तथा कथित पवित्र ग्रन्थों को जला देना चाहिए। अन्यथा इस सदन में लम्बे-चौड़े भाषण देने से या कुछ वक्तव्य देने से कोई काम नहीं होगा।

एक धारणा कई लोगों के दिलों में बैठ गई है कि जब हरिजन लोगों को शिक्षा प्राप्त होंगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो अच्छूत की समस्या आप ही आप सुलझ जाएगी। परन्तु, यह धारणा ठीक नही है। देश में इस समय हरिजनों में कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं एवं कइयों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हैं। फिर भी उन्हें भी अच्छूत माना जाता है। अतः जाति हिन्दुओं के मन में परिवर्तन होना चाहिए। मगर यह बहुत अधिक कठिन है।

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। इसका 1950-51 में आरम्भ हुआ था और इसकी दर भी उस समय निश्चित कर दी गई थी। अब परिस्थिति बहुत बदल गई है। मूल्यों में वृद्धि तथा तज्जन्य अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्यों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए नियुक्त संसदीय समिति ने बार-बार कहा है कि छात्रवृत्ति की दर बढ़ा दी जाए। समिति की आठवीं रिपोर्ट में कहा गया हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त ने 1962-63 की अपनी रिपोर्ट में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ाने का सुझाव दिया था, मगर सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नही की। समिति ने आगे कहा कि हरिजन छात्रों को अपना अध्ययन जारी रखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समिति विधि एवं समाज कल्याण मंत्री के इस आश्वासन से कि तकनीकी अध्ययन करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति में 100 प्रतिशत और अन्य छात्रों की छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, संतुष्ट हैं। अतः समिति आशा करती है कि वित्त मंत्रालय इस योजना को शीघ्र ही मंजूरी देगा।" परन्तु इसको मंत्रालय से जो जवाब मिला, वह अजीब ढंग का हैं। जवाब यह था कि छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि करने के सवाल पर खूब विचार किया गया और यह अनुभव किया गया कि दर में बृद्धि करने की अपेक्षा उपलब्ध सीमित धनराशि से अधिकाधिक छात्रों को लाभ पहुंचा देना ही उचित होगा। क्योंकि

दर में वृद्धि करने से छात्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करना पड़ेगा। यह गलत निष्कर्ष है। सरकार को छात्रों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब अनुसूचित जाति के लोगों में से भर्ती की जाती है तो अक्सर यह कहा जाता है कि योग्य अभ्यर्थी मिलते नहीं है। परन्तु मेरा कहना यह है कि योग्य व्यक्ति तो तभी मिलेगा, जब सरकार उन्हें सुविधायें प्रदान करेंगी।

आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1960 में प्रथम श्रेणी के हरिजन अधिकारियों की प्रतिशतता 1.2 और 1969 में यह 1.9 थी सात वर्षों में केवल ·7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इसका क्या कारण है ? 1950 में हरिजनों के लिए 12½ प्रतिशत पदों के आरक्षण का निश्चय किया गया था। परन्तु हम आज भी इस निश्चय का पालन नहीं करते हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता को अनिवार्य शर्त माना गया है। वस्तुतः नियोक्ता अधिकारी इस शर्त का अक्सर दुरुपयोग करते हैं। इसके बहाने ये लोग कई योग्य हरिजन अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित करते है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस शर्त को विज्ञापन से हटा दे और केवल विजयी अभ्यर्थियों को ही नियुक्त करने की व्यवस्था करे।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसी लिए में धन्यवाद देता हूं। हम कर्मकांडों में अत्यधिक विश्वास रखने वाले हो गए, इसी लिए जैसे प्रधान मंत्री ने कहा कि छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हुई है। आदिवासी शब्द का गलत अर्थ समझा जा रहा है। हम समझते हैं कि आदिवासी का मतलब किसी देश के आदिम निवासी से है। मगर यह गलत है। हमें यह नहीं मानना चाहिए क्योंकि जब आदिवासी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वह आदिवासी नहीं माना जाता है। असम में यही बात हुई। लगभग सौ वर्ष पूर्व, लोहारदागा से असम के चाय बागानों में आदिवासी लोगों को ले जाया गया। चूंकि उन्हें अपने मूल निवास स्थान से निकाल दिया गया है। अतः उन्हें असम के बागानों में आदिवासी नहीं माना जाता। रिपोर्ट जिस पर चर्चा चल रही है, मे कहा गया है कि इन्हें भी आदिवासी माना जाना चाहिए। मगर आदिवासी न मानने के कारण उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। असम के और सभी आदिवासियों को कर से मुक्त कर दिया गया है, मगर इन्हें नही। इससे इन लोगों के मन में आशंका और विद्वेष की भावना पैदा हो गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्या इन आदिवासियों की समस्या से भिन्न प्रकार की है। वस्तुतः आदिवासी हिन्दू समाज के बाहर है। यह ठीक है कि इन लोगों ने हिन्दू धर्म को स्वीकार किया है, फिर भी इनके निवास स्थानों को देश के अन्तर्गत छोटे राष्ट्र के रूप में लिया जाना चाहिए। इन्हें खास तौर पर संरक्षण दिया जाना चाहिए। नेफा की आभोर जाति की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिनका देश के अन्य भागों से कोई सम्बन्ध नही रहता है। चीन इन प्रदेशों से होकर आसानी से भारत पर आक्रमण कर सका था।

20 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में 35 आदिवासी परिवारों को पांच-पांच एकड़ जमीन बाँट दी गई थी। दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार के समय इससे तीन एकड़ वापस ली गई और उनके पास केवल 2 एकड़ जमीन बाकी रही। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये आदिवासियों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। आदिवासियों की समस्या सामाजिक, आर्थिक और नरतत्वीय है जिस

पर गहराई से यहां विचार नहीं किया गया। समय न होने से मैं इन पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता। मगर एक बात निश्चित है। आदिवासियों की समस्याओं के मूल करण का पता लगाकर उसके हल करने के बजाए, केवल कुछ छात्रवृत्ति देने या कुछ लोगों को कहीं कुछ नौकरियां दिलाने से उनकी समस्याओं का शाश्वत समाधान नहीं किया जा सकेगा।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये ससदीय समिति के प्रतिवेदनों, और अस्पृश्यता के प्रतिवेदन तथा सभा में की गई चर्चा से एक बात जाहिर होती है कि इन जातियों की कमियों को दूर करने के लिये जो आभार संविधान में रखे गये हैं, वे पूर्ण नहीं किये गये हैं। उन्हें पूरा करने में अभी काफी समय लगेगा। अत; मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन मामलों पर चर्चा करने तथा कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं करे।

हम लोगों का संसद् में यह उत्तरदायित्व है कि जब यहां योजना पर चर्चा की जाती है तो इन जातियों के लिये निधि आवंटित करे। जब तक संसद् पर्याप्त निधि मंजूर नहीं करती है तब तक केवल सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है। अभी बताया गया था कि इन जातियों के लिये चौथी योजना में 1150 करोड़ रुपये मांगे गये थे जब कि उन्हें केवल 120 करोड़ रुपये ही दिये गये।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : 142 करोड़ रुपये।

श्री लीलाधर कटकी : यदि हमारी यही रफ्तार रही तो इन सम्प्रदायों को राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला कर चलने में बहुत वर्ष लगेंगे।

इन सम्प्रदायों को राष्ट्र के अन्य सम्प्रदायों के स्तर पर लाने के लिये इन्हें सक्षम बनाने के लिये जो विशेष उपाय तथा आरक्षण हैं उन्हें नजर अन्दाज नहीं किया जाना चाहिये। सामाजिक उपायों के अतिरिक्त इसमें आर्थिक तथा शैक्षणिक उपाय भी शामील हैं।

इस समस्या को न केवल सरकार, संसद् और राज्य अधिक कानून बनाकर सुलझा सकते हैं वरन् हम सबको उनके साथ भाई चारे का बर्ताव करना होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुछ सदस्य इस बात को गंभीरता पूर्वक लेते है कि कुछ सदस्य इस विषय में रूचि नहीं लेते हैं मानो सभा में उन्हें कुछ नहीं समझा जाता हो। अन्य सदस्यों की यह भावना दूर होनी चाहिये। यदि हम इस राष्ट्रीय समस्या को यहां सभा में ही हल करने के लिये सजग नहीं होंगे तो सुदूर गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों से इसे कैसे दूर करेंगे ?

इस कार्य के लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाये ताकि सरकार के कार्यक्रमों तथा उपायों को अमल में लाया जा सके।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व निवेदन करना चाहूंगा कि इसे प्रतिरक्षा के ठीक बाद प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि यह सभा इस बात की मंजूरी देती है तो दस वर्ष के

समय में हम इन दोनों सम्प्रदायों के भाईयों को काफी आश्वासन दे सकेंगे कि हम एक राष्ट्र के रूप में उनकी समस्या से अवगत हैं तथा हम और वे मिलकर इस समस्या को सुलझा लेंगे।

Shri Jegeshwar Yadav (Banda) : Mr. Chairman. The contents of these reports betray that the welfare of Harijans cannot be brought about expeditiously and I am exeptional whether it can at all be brought about.

The Government take special interest when they have to pursue certain policy. When they have to abolish the privy purses or nationalise the Banks, they do it with a special interest. Had the Government wanted to provide Harijans with the House and employment facilities, they could have done it, but they do not want to do anything in this regard. The Government wastes the time and function in a purfunctory manner.

I would like to request Shrimati Indira Gandhi to work devotedly and with a special interest for the welfare of Harijans as she has done in the cases of Nationalisation of Banks and the abolition of privy purses. The recommendations which have been given in these reports are not such as would usher in our era of prosperity for the Harijans. It is justlike sending a serious patien requiring operation to a purisue Ayurvedic physician. If there welfare is to be brought about in the real sense of the term the Government will have to provide them housing, employment and educational facilities.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : Mr. Chairman, Sir, in Indian society it has become our nature to treat the people belonging to scheduled castes as untouchable not withstanding the provisions of the constitution to the contrary. Our constitution does not make a distinction between an independent member and other members. But here they are treated as untouchables and hardly given any time to speak.

At the time of second world war Gandhiji said that we had not to hate any human being whether he is Shastri or Tiwari. Our old tradition of classification of castes has been continuously weakening our country. When there is any feast of marrige in villages Harijans go there and collect the left over material. It is a matter of shame. They must be given employment opportunities.

It is correct that twelve and a half percent of the seats in service are resesved for these castes but it is noticed that their confidential reports are submitted by the officers belonging to higher castes and those officers spoil their reports consequently they are deprived of promotions. If an enquiry is made into this. It will be found that 95 percent or more of the reports of these employees are spolied. When I was the minister of Health in Bihar, I found that the confidential reports of a competent I. A. S. Officer had been spoiled because he came from scheduled caste. I went into that case and found nothing against that officer since the district magistrate was not pleased with him, his report had been spoiled.

Their promotions are stopped only because of their confidential reports. This is the condition in every state. I congratulate the D. M. K. who have ordered that the old confidential reports will be treated as defunct and that employees will be promoted on this basis of new confidential reports. The Government must consider it seriously and do something which may make the employees eligible. for promotion not withstanding the adverse confidential reports.

To day there are so many problems which the people of scheduled castes and Scheduled tribes are facing. Apart from there castes there are backward classes in a large

number. The Government must make a list of such castes and provide them special opportunities. They might be 70-75 percent of these scheduled castes.

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं उन सब माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने 17 घंटे तक हुई चर्चा में भाग लिया। सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने अपने दृष्टिकोण एक जैसे ही रखे हैं। प्रत्येक सदस्य ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों की दशा में और अधिक सुधार करने के लिय विचार व्यक्त किये हैं। य जातियां देश की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। जब तक यह पांचवा भाग शेष जनसंख्या के स्तर तक नहीं आ जाता है तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है और देश सुदृढ़ नहीं बन सकता है। स्वतन्त्रता के इन 23 वर्षों में कुछ तो किया गया है परन्तु अभी समाज के कमजोर वर्ग को सामान्य जनसंख्या के स्तर तक लाने में काफी प्रयास करना है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने कहा है कि इनकी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

इस मत्रालय के विरुद्ध पहला आरोप यह लगाया गया है कि इन प्रति वेदनों पर हो रही चर्चा में सरकार की रुचि नहीं है। वर्ष 1967 में जब वर्ष 1964-65 और 1965-66 के प्रतिवेदनों पर चर्चा हो रही थी तो तत्कालीन मंत्री श्री अशोक मेहता ने कहा था कि बजट सत्र में प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे तथा नवम्बर सत्र में "की गई कार्यवाही" सम्बन्धी प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया जायेगा। परन्तु बाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये संसदीय समिति गठित की गई। इसका पहला निर्देश-पद यह है कि इस समिति को संविधान की धारा 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करना है और केन्द्रीय सरकार को विचाराधीन मामलों के बारे में अपने द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में दोनों सदनों को सूचित करना है। अत: इन प्रतिवेदनों को बसुमतारी समिति के विचार के लिए भेज दिया गया। हमें हाल ही में आठ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और जब तक उनका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक चर्चा नहीं हो सकती थी।

दूसरा निदेश पद यह है कि इस समिति को केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में दोनों सदनों को समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना है। अत: जो कार्यवाही की जाती है उसे भी उनके पास भेजना पड़ता है। जो कार्यवाही की गई है उसे हमने भेज दिया है। वे जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विलम्ब होने का यह प्रमुख कारण है, न कि यह है कि सरकार प्रतिवेदनों पर चर्चा में रुचि नहीं लेती है।

श्री मंधु लिमये (मुंगेर) : किसका कल्याण ?

श्री जगन्नाथ राव : कमजोर वर्गों का कल्याण

कमजोर वर्गों का आर्थिक विकास देश के सामान्य आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। प्रत्येक राज्य एवं जिले में कमजोर वर्ग हैं। अत: यदि राज्य सरकार द्वारा कृषि अथवा शिक्षा के विकास की कोई भी योजना बनाई जाये तो वह इस प्रकार से बनाई जाये कि आबादी के कमजोर

वर्गों को भी इससे लाभ मिले । यदि कोई बांध या होज बनाये जायें तो उस कार्य के लिए काम में लाई गई भूमि के बदले हरिजनों आदि को भूमि दी जानी चाहिये क्योंकि उन पर ही ऐसे निर्माण कार्यों से पहले प्रभाव पडता है । हम सिंचाई करके अधिक अन्न उत्पादन करना चाहते हैं परन्तु कमजोर वर्गों को भी उस लाभ में भाग मिलना चाहिये । मैं मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिख रहा हूँ कि वे इस बात का मूल्यांकन करें कि विशेष परियोजनाओं से कमजोर वर्गों को क्या लाभ हुआ है ।

यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बच्चों को आगे आने के लिए छात्रवृत्तियां, रोजगार तथा प्रशिक्षण दे रहा है ताकि वे अन्य समुदायों के साथ प्रतियोगिता कर सकें । वर्ष 1960 के आंकड़ों की वर्ष 1969 के आंकड़ों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि इन जातियों के लड़कों का आगे आने में शनैः शनैः विकास हुआ है तथा प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों की सेवाओं में भी वृद्धि हुई है ।

Shri Madhu Limaye : It will take two hundred years if we go on with this speed.

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रगति से संतुष्ट नहीं हूं ।

Shri Madhu Limaye : Please fix a date by which it will be done.

श्री जगन्नाथ राव : इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता । प्रारंभ में ही मैंने सीमित साधनों के बारे में उल्लेख कर दिया था और जितना हम कर सकते थे वह इन सीमित साधनों से किया । राज्य सरकारों को कमजोर वर्गों के विकास के बारे में साधन जुटाने होंगे । केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । राज्य सरकारों के अपने संसाधन हैं । दोनों को साथ-साथ काम करना चाहिये ताकि राज्य योजनायें विकसित हो सके । जब तक कमजोर वर्ग सामान्य राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुँचते हैं तब तक सच्ची राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती ।

एक माननीय सदस्य ने मांग की थी कि मैट्रिक से आगे के अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिये । इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था परन्तु उन्होंने सहमति नहीं दी । क्योंकि संसाधन सीमित थे । मैंने पुनः इस मामले को उठाया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : The Government spent millions and millions of rupees to solve the refugee problem. Is the problem of scheduled castes an scheduled tribes not a similar one ? Can the Government not spend money to solve this problem ?

श्री जगन्नाथ राव : इस बारे में सोनावने ने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि इस समस्या का अति शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये । मैट्रिक से आगे के अध्ययन के लिये जो छात्रवृत्तियां दी जाती है उनमें जो विलम्ब होता है उसे दूर करने के लिये यह कार्यवाही की गई है कि इस योजना की विस्तृत जानकारी छात्रों को दी जाये ताकि उन्हें प्रक्रिया की औपचारिकता का ज्ञान हो सके और छात्रों को कालेज छोड़ने से पूर्व और पुनः कालेज में प्रवेश लेते समय फार्म इत्यादि दे दिये जायें और जिला स्तर पर छात्रवृत्ति वितरित करने वाले अधिकारियों के पास पर्याप्त कर्मचारी रखे जायें ताकि विलम्ब न हो । मुख्य मन्त्रियों को भी सूचित कर दिया गया है तथा उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने का वचन दिया है । एक अन्य मामला जो उठाया

गया है वह यह है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर होने वाला व्यय केन्द्रीय बजट से दिया जाए। यह मामला योजना आयोग के समक्ष उठाया गया किन्तु आयोग ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। किन्तु वर्ष 1968–69 का व्यय वचनबद्ध व्यय मान लिया गया है और इसे 1969–70 से योजना से भिन्न समझा जाना चाहिए।

विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की बात भी उठाई गई है। इसके लिए एक चयन समिति नियुक्त है जिसमें विदेशी सरकार का भी प्रतिनिधि होता है। हम उन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान निश्चित करने पर बल नहीं दे सकते।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और आदिसूचित खानाबदोश जनजातियों के लिए समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों की एक विशेष योजना चालाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जातियों, चार अनुसूचित जन-जातियों और एक अवधिसूचित खानाबदोश जन-जातियों को दी जाती है। इतने ही यात्रा अनुदान शिक्षा मन्त्रालय द्वारा भी अध्ययन के लिए दिए जाते हैं

जहां तक समुद्र पारीय छात्रवृत्तियों का प्रश्न है, ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है और कुछ खास शर्तों को पूरा करने पर विशेष उद्देशयों हेतु दी जाती है और अनुसूचित जातियों। जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई मनाई नहीं, किन्तु विदेशी सरकारों से यह कहना कि वे कुछ स्थान इन जातियों के लोगों के लिए आरक्षित करें सम्भव नहीं।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों। जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रश्न भी उठाया गया है। केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा चलाए जाते हैं और मैं उस मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में लिखूंगा ताकि इन जनजातियों के लिए कुछ किया जा सके।

जहां तक गैर सरकारी विद्यालयों में आरक्षण का प्रश्न है इन्हें ऐसे संगठनों द्वारा चलाया जाता है जो केन्द्र या राज्य सरकारों से अनुदान नहीं पाते अतः सरकार उन्हें विवश नहीं कर सकती। किन्तु शिक्षा एवं युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा रिहायशी विद्यालयों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं।

श्री सूरजभान ने नौकरियों में आरक्षण के प्रश्न को भी उठाया है। मेरे साथी श्री मिर्धा और प्रधानमन्त्री इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं जो भी उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता को पूरा करेगा उसे अवश्य लिया जाएगा। श्री मोरारजी देशाई ने मौखिक परीक्षा को समाप्त करने की बात कही है। मैं आशा करता हूँ गृह मन्त्रालय इस पर विचार करेगा।

श्री मीना ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीनवारों को प्रतिरक्षा सेवाओं में लिया जाए। इसके लिए आरक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु मुझे बताया गया है कि सभी भर्ती अधिकारियों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि अन्य बातों में समानता होने पर अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जाए। भर्ती अधि-

कारियों को यह दिर्देश दिए गए हैं कि वे भर्ती व प्रचार दौरों के लिए भीतरी क्षेत्रों में जाएं, विशेषकर वहां जहां अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग अधिक संख्या में रहते हों।

जन संख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रश्न भी उठाया गया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में ऐसा किया जाता है।

जहां तक प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रश्न है भारत सरकार ने पिछड़ी जातियों संबन्धी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में इसकी व्यवस्था की है, जिससे राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को, राज्य सिविल सेवाओं और अन्य अधीनस्थ सेवाओं मे प्रवेश दिलाने के लिए तथा सहायकों, आशुलिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों आदि के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परिक्षाओं के लिए, परीक्षा पूर्व शिक्षण प्रदान करने के लिए, प्रशिक्षण केन्द्र खोल सकें। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों को जो तृतीय श्रेणी के किसी भी आरक्षित पद के लिये, जैसे कि पुलिस के उप-निरीक्षक, उत्पादन-शुल्क निरीक्षक, खाद्य-निरीक्षक आदि के लिए भर्ती के इच्छुक हैं, इसी प्रकार की प्रशिक्षण की सुविधाएं देना सम्मिलित करें। अधिकांश राज्यों ने ऐसे केन्द्र स्थापित कर लिए हैं और कुछ अन्य राज्य औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं।

भारत सरकार ने भी दिल्ली, कानपुर, जबलपुर और मद्रास में परीक्षण के लिए चार शिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों में, जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए अपने नाम दर्ज करवाए हैं, आत्म-विश्वास उत्पन्न करने का प्रशिक्षण देना है। ये केन्द्र रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा चलाए जाएंगे और आवश्यक धन समाज कल्याण विभाग द्वारा जुटाया जाएगा।

मैं मन्त्रालय में एक अनुभाग खोलने पर विचार कर रहा हूं जिससे यह देखा जा सके कि सरकारी उपक्रमों में किस प्रकार अनुदेश का पालन हो रहा है। जो भी संभव होगा उसे मैं करने का यत्न करूंगा।

पदोन्नतियों के विषय में सवेरे श्री मिर्धा ने स्पष्टीकरण कर दिया था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमि देने का प्रश्न भी उठाया गया है। इस विषय में मैंने मुख्य मन्त्रियों को लिखा है और उनके उत्तर भी प्राप्त हो गए हैं। किन्तु यह ऐसा मामला है जिसमें जबतक भूमि सुधार अधिनियमों को कार्यान्वित नहीं किया जाता और फालतू भूमि उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : अनुसूचित जातियों की भूमि को अवैध रूप से छीन लिया गया है। सरकार उस भूमि को वापस करने के लिए क्या कर रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : प्रत्येक राज्य सरकार भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली फालतू भूमि की उपलब्धता की प्रतीक्षा करना चाहती है। मेरा विचार

है अपने जीवन काल में हम कोई कार्य सम्पन्न होता नहीं देख पाएंगे क्योंकि भूमि सुधार के प्रत्येक अधिनियम को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और कई अधिनियमों को अवैध करार दे दिया गया है। इसीलिए मैंने उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को सुझाव दिया है कि सरकारी बंजर भूमि भूमिहीनों को दे दी जाए और फिर उड़िसा में अनारक्षित वन-भूमि भी पड़ी है। उसे फिर से अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों को दे दिया जाए। ऐसा पहले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के मामले में भी किया गया था। हमें भूमिहीनों को भूमि देकर और बैल, बीज आदि के रूप में उनकी सहायता करनी चाहिए। कम से कम एक वर्ष तक उन्हें भूमि में पैदावार करने दीजिए तभी वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। मैं भी उस प्रदेश से आया हूँ जहां मुख्यतया आदिवासी रहते हैं। वहां गैर जनजातियों के लोगों ने, जो मैदानों से पर्वतीय क्षेत्रों में आये थे, आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर लिया। राज्य सरकार द्वारा भूमि संक्रामण अधिनियम पारित किया गया है जिसके अनुसार जिलाधीश अथवा उप-जिलाधीश की अनुमति के बिना कोई भी गैर-जनजाति का व्यक्ति किसी भी आदिवासी से भूमि नहीं खरीद सकता। तब भी लोग भूमि खरीद लेते थे। उड़ीसा सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्य किया था और 1956 में एक विनियम भी पारित किया था। इसे अब 12-14 वर्ष हो चुके हैं तथा जो भूमि से विमुखता हुई थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है। कुछ जिलों में मौके पर ही अध्ययन करने, और संक्षिप्त आदेश जारी करने तथा तत्काल ही भूमि-वितरण के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

जहां तक श्री मधु लिमये का यह कहना है कि पूर्णिया जिले को हजारों संथालों ने मिलकर खेती के लायक बनाया और उस जमीन को सब बड़े लोगों ने मिलकर ले लिया मैं इससे इन्कार नहीं करता। यही तो मै भी कह रहा हूँ। इसीलिए तो राज्य सरकारों को विनियम एवं कानून पारित करने पड़े जिससे आदिवासियों से छीनी गई भूमि फिर से उन्हें दी जा सके।

एक अन्य समस्या ऋणग्रस्तता की है। 30-40 वर्षों के बाद भी ये लोग ऋण अदा करने की स्थिति में नहीं होते और ऋण की राशि 100 रुपये से कम होती है। मैंने प्रधान मंत्री को ग्रामिणों द्वारा ऋण न दे पाने की स्थिति के बारे में लिखा है कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों और हरिजनों को कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों में अपना व्यापार चलाने के लिए अर्थात् जूते बनाना, भेड़ तथा पशु पालन आदि के लिए हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि कई राज्यों में वन निगम कार्य कर रहे हैं किन्तु राज्य सरकारों को बहुत अधिक 'रायल्टी' प्राप्त है जिसके कारण इन्हें लाभ नहीं हो पाता। मैंने मुख्य मन्त्रियों से रायल्टी को कम करने अथवा छोड़ देने के लिए कहा है।

एक अन्य मामला जनगणना आंकड़ों का भी उटाया गया है। अनुसूचित जातियों की जन संख्या के विषय में कहा गया है कि जनगणना आंकड़ें गलत हैं और इनकी जन संख्या कम दिखाइ गई है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र राज्य में बौद्धों की जन संख्या 1951 में 2487 से बढ़कर 1961 में 27,89,501 हो गई। स्वाभाविक विकास की अनुपातिक दर के अनुसार 1961 में उनकी संख्या 3000 होनी चाहिए। यदि यह मान लिया जाए कि 1951 की

जन गणना वाले 27,86,501 (27,89,501 में से 3000 कम करने पर) अनुसूचित जातियों के लोगों ने 1961 में स्वयं को बौद्ध लिखवाया और यदि इस संख्या को राज्य की वर्ष 1961 में अनुसूचित जातियों की जन संख्या में मिला दिया जाए तो महाराष्ट्र राज्य में उनकी जन संख्या में 25.33 प्रतिशत वृद्धि बनती है जबकि राज्य की सामन्य जनसंख्या में 23.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहां तक अस्पृश्यता का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में इलाया पेरूमल समिति ने बहुत अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। समिति ने निम्न समस्याओं पर पांच भागों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है :—

(1) अस्पृश्यता।

(2) आर्थिक स्थिति।

(6) शैक्षिक विकास।

(4) नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व और

(5) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का पद।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए तालुका स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए। स्वर्गीय श्री गोविन्द मेनन ने जनवरी, 1970 में इस विषय पर राज्यों के मन्त्रियों से चर्चा की थी। मन्त्रियों के अनुसार तालुका स्तर पर समिति का गठन करना कठिन होगा किन्तु ऐसा उप मण्डलीय स्तर पर करना संभव है। उनके इस प्रस्ताव पर हम राज्य सरकारों से आगे बातचीत कर रहे हैं।

दूसरा सुझाव दण्ड को अधिक कठोर बनाने के लिए 1955 के अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम ये संशोधन करने का रखा गया है। विधि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है और अगले सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का कार्यक्रम आरम्भ करना है। वर्ष1970–71 के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 0–3 वर्ष की आयु वाले बच्चे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले अनुसूचित जातियों के बच्चों और आदिवासियो के बच्चों को इससे लाभ होगा। कार्यक्रम इसी वर्ष आरम्भ किया गया है और आशा है यह सफल होगा जिससे अगले वर्ष इसका विस्तार और अधिक बच्चों के लिए किया जा सके।

योजना आयोग से अधिक धन देने के लिए कहा जा रहा है। यद्यपि इस मन्त्रालय पर संबिधान के भाग तीन और चार के क्रिमान्वयन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है फिर भी बहुत कम राशि अर्थात् केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 60 करोड़ और राज्यीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 82: 38 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मैं आय के आधार पर छात्रवृत्ति देने के विषय में कहना भूल गया था। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि इस आधार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान सीमा 500 रुपये प्रतिमास

की है। यह तर्क दिया जाता है कि आजकल की महगाई में 500 रुपये की सीमा का कोई अर्थ नहीं है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए जिसमे प्रत्येक आदिवासी अथवा हरिजन बच्चा इसे लेने का अधिकारी हो सके। यह मामला वित्त मन्त्रालय के साथ उठाया गया था किन्तु मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी। वित्त मत्रालय के साथ मामले को फिर से उठाया गया है।

मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्तियों के लिए राज्य सरकारें और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार धन देती हे। स्नातकोत्तर के लिए 45 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। कोई भी छात्र उत्तीर्ण होने पर इसका अधिकारी होगा।

सभापति महोदय : सदस्य कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में इन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री जगन्नाथ राव : इसे अगले सत्र में लिया जाएगा।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : श्री नरसिंह राव ने सुझाव दिया है कि जब भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए तो उसे आने-जाने का रेल भाड़ा तथा वहां ठहरने का कुछ खर्च दिया जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव - इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) The Government should not stick to the principle of equal opportunities for all becuase it will not help in the upliftment of Harijans and Adivasis. It should assure this house that quota for scheduled castes and scheduled tribes in government service would be filled during the 4th Five Year Plan.

श्री जगन्नाथ राव : उनके साथ मैं सहमत हूं। कोटा पूरा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि समान अवसर के सिद्धांत से हरिजनों का उद्धार नहीं होने वाला है। अतः क्या हमारा विचार इसे बदलने का है।

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस बात से सहमत हूं कि समान अवसर की बात समान व्यक्तियों में ही ठीक बैठती है। इसीलिए पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिशतता नियत की गई हैं। इस प्रतिशतता को पूरा किया जायेगा अन्यथा पदों को रिक्त रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know whether there is any scheme for tackling housing problem of advasis and if so, the details thereof,

श्री जगन्नाथ राव : ग्रामीण आवास की एक योजना है। हरिजनों एवं आदिवासियों को भी यह सुविधाएं प्राप्त हों ऐसे प्रयास किए जाएंगे।

श्री वसुमतारी (कोकराझार) : मेरा विश्वास है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण विषयक संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा।

श्री गोविन्द मेनन से ऐसा पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि ऐसा करने के लिए वे प्रयत्न करगे। माननीय मंत्री क्या ऐसा आश्वासन देंगे ?

श्री जगन्नाथ राव : उस आश्वासन को मैं दोहरा देता हूं।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Mr. Chairman, Sir, at one time I said that during the life time of Late Shri Madan Mohan Malaviya there were so many facilities which were given to Harijan in Banaras Hindi University but the same have been with drawn by the Central Government now,

Secondly Sir, may I know whether any scheme is being prepared to allot certain percentage of quarters to Central Government employees belonging to scheduled castes and scheduled tribes in Delhi.

श्री जगन्नाथ राव : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री को बता दूंगा।

मकानों के आरक्षण के सम्बन्ध में मुझे पता चला है लगभग पांच प्रतिशत क्वाटर उनके लिए आरक्षित रहते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर): मैं समझता हूं कि इन वर्गों की अधिकतर समस्याओं का एक मात्र हल उनमें राजनैतिक चेतना लाना है और यह शिक्षा द्वारा ही संभव है। अतः वह सीमा-अवधि बताई जाए जिसके भीतर हाई स्कूल स्तर तक राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करदी जाएगी ?

श्री जगन्नाथ राव : संविधान में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसको कार्यान्वित करने के लिए हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं। इसके लिये कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती यह राज्य सरकारों का कार्य है।

श्री नि. रं. लास्कर (करीमगंज) : राज्य सरकारों ने छात्रवृत्ति योजना को एकमुश्त अनुदान के रूप में स्वीकार तो कर लिया है परन्तु अधिकतर राज्य सरकारें इन राशियों को अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च कर रही हैं।

श्री जगन्नाथ राव : हम यह देखेंगे कि ऐसा न हो और ऐसी स्थिति में योजना आयोग को भी सजग करेंगे।

Shri Ramanand Shastri (Bijnor) : Why there is no reservation for Harijans in Defence Ministry ? Are they considered unfit ? I want my four questions to be answered and these are whether Defence Ministry would make reservations for Harijans according to population ratio ? How many Governors are Harijans or Adivasis ? How many diplomats are Harijans or Adivasis ? What steps are being taken by the Government to provide them houses ?

श्री जगन्नाथ राव : सुरक्षा सेवाओं में समुचित आदेश जारी किए गए हैं अतः आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

राजनैतिक नियुक्तियों की बात प्रधान मन्त्री को बता दी जाएगी।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : Which recommendations of the Perumal committee you have assured to implement ? Some light may also be thrown on perumal committee's recommendations relating to Railways.

श्री जगन्नाथ राव : पेरूमल समिति की सिफारिशें सम्बद्ध मन्त्रालयों व राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए प्रेषित की गई हैं। उन से उत्तर प्राप्त होने पर ही स्थिति बताई जा सकती है।

अधिनियम में संशोधन का विधेयक अगले सत्र में पेश करने का मैंने आश्वासन दिया था।

Shri P. L Barupal (Ganganagar) : The Government acted promptly to rehabilitate the persons who became refugees with the partition of India, but it is painful that even after a lapse of 23 years after independence problems of Harijans have not been solved. May I know the Government is considering the setting up of a separate Ministry for Harijans and Adivasis as was done for regugees ? If not, why ?

श्री जगन्नाथ राव : अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने से ही यह समस्या हल हो सकती है न कि अलग से भाग या मन्त्रालय बना कर।

शरणार्थी समस्या के साथ इस समस्या की तुलना एक सुझाव है और मैं भी इस पर विचार कर रहा हूं।

Shri Kamble (Latur) : Reservation quota has been raised from 12% to 15% for categories other than Class I and II. Is there any scheme for making reservation for promotion in Class I Class II posts ?

श्री जगन्नाथ राव : जहां तक मेरा विचार है, पदोन्नति के लिए भी आरक्षण है।

श्री दे० अमात (सुन्दरगढ़) : ढेबर आयोग की कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने संबंधी सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री जगन्नाथ राव : कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित कर दिया गया है। कोरापुर अनुसूचित क्षेत्र है।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों को रोकने के लिए चलते फिरते पुलिस दस्ते बनाएं जाएं तथा विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं।

श्री जगन्नाथ राव : इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : पिछडे वर्गों के अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टें लिखते समय उनमें हेर फेर किया जाता है ऐसे वर्गों के उन सभी अधिकारियों जिनका अधिक्रमण होता है, की गोपनीय रिपोर्टों का पुनरावलोकन करने की संभावना पर क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए।

Shri Sheo Narayan (Basti) : What is being done about reservations in Kashmi I also want to know the principle going to be adopted for oral test our candidate get les number because they are black in these tests.

श्री जगन्नाथ राव : इन का उत्तर मैंने पहिले भी दिया है। गृह मन्त्रालय इन पर विचार करेगा।

Shri Ram Charan (Khurja) : Government can consider easying of weaker sectior betterment levy on the basis of Income to meet the deficit of finances.

श्री जगन्नाथ राव : यह राज्य सरकार के द्वारा विचार किए जाने की बात है। ह राज्य सरकार द्वारा लाटरी चलाई जा रही है। लाटरी की राशि में से कुछ धन इन वर्गों की भलाई के लिए खर्च किया जा सकता है।

Shri G. Venkataswamy (Siddipet) : Is there any reservation for scheduled castes and scheduled tribes in Public sector undertakings ?. If so, what is the percentage ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं आंकड़े इकट्ठे करूंगा।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : What steps are being taken for the educati and of those candidates of scheduled castes and scheduled tribes who do not come up the merits, then those take those amongst in service.

Is there any scheme which is being considered to give prizes to a district which ahead in eradication of untouchability or to impose fine which lags behind in this task ?

How long will it take for making arrangements for drinking water for back-ward classes ?

श्री जगन्नाथ राव : छुतछात कुछ दिनों में ही समाप्त नहीं की जा सकती। पर इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता है।

देश में लगभग 2 लाख ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई–मध्य) : पिछडे वर्गों के कल्याण पर विचार करने लिए 1968 में अध्ययन समितियां नियुक्त की गईं थीं। उनके निर्णयों पर कार्यान्वियन कब त किया जायेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : यह विषय तो इस बहस में शायद उठाया ही नहीं गया था

(व्यवधान)

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : I have a point of order. This Ministry merely conveys our views and reports received to concerned Ministries. It has no power towards implementation part. Hon Minister in speaking is what capacity ?

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : I fear that during ensuing census efforts would be made to show the scheduled castes and scheduled tribes in less number. May I know whether the hon. Minister would write to Census Commission for clarification ?

श्री जगन्नाथ राव : माननीय सदस्य यदि जनगणना आयुक्त और गृह मन्त्रालय को लिखेंगे तो अच्छा होगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : May I know whether Government is considering enhancing the amount of scholarship in this period of rising prices ?

May I know whether you would institute an enquiry to find out why the quota fixed for Harijans etc. is not being filled up and take action against those found guilty ?

What steps are being taken to inspire Inter-caste marriages between Harijans and caste Hindus ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

Shrimati Agam Dass Guru Minimata (Jangir) : I do not believe that posts would be kept vacant if suitable candidates are not available. But what facilities are proposed to be allowed to make these people suitable.

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

Shri K. M. Tiwari (Bettiah) : You have allowed so many questions. Would you allow everybody to speak ?

Mr. Chairman : I am bringing an end.

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : On the one hand it is said that sufficient funds are not available for implementing schemes for the upliftment of Harijans etc. on the other and we find that amounts allocated during 3rd plan got lapsed. There is so much of diversion of funds also. What steps are being taken in this regard ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी भी नियत राशि को बिना उपयोग किये न रखा जाये अथवा किसी अन्य कार्य में न लगाया जाये ।

Shri Suraj Bhan (Ambala): Sir, I am thankful to the hon. members who have taken part in this debate which was to bring in lime light the various problems faced by the Harijans and Adivasis. I am also thankful to the Prime Minister and other national leaders who have taken part in this debate.

Shri Mirdha has stated certain things regarding the services. I do not intend to blame him since he has come in this Ministery recently but I want to point out that no steps have been taken so far to fulfil the required number of posts reserved for the scheduled castes and scheduled tribes as has been stated by the hon. Minister contrarily certain benefits given to them previously have been withdrawn for example, reservation for scheduled castes and scheduled tribes has been discontinued in certain departmental examinations.

Similarly reservation in confirmation has also been stopped since 1963 when orders were issued by the Government to the effect that reservation was to be maintained at the

time of promotion. In corroboration to my statement I would like to quote the suggestion made by the Commission in their report for the year 1968-69.

"Reservation should be made at the time of confirmation also as was being don prior to 27th March 1963 to enable the scheduled castes and scheduled tribes an adequate share in permanent posts"

Reservation was also made in the selection posts but since the issue of those orders Government began to abolish certain selection posts.

The hon. Minister has said that they have started reservation in the initial recruitment to overcome this shortage. If the Government have framed any new policy to this effect I welcome it. But so far as my knowledge is concerned there is no such reservation at present. Indian Forest Service and Indian Medical Service have been introduced recently but no reservation has been made for the scheduled castes and scheduled tribes in these services at the time of initial recruitment.

Shri Ram Niwas Mirdha : These are two things. One is initial recruitment. There is reservation in that but the initial constitution of service is different. In this there is no recruitment Persons are selected from the various state Governments and appointed.

Shri Suraj Bhan : The hon. Minister has now clarified the point. But my submission is that the candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes can also be founed in the various state Governments. Government can easily make reservation for them in these services.

Sir, I do not agree with the hon. Minister that the suitability is also observed in the selection of candidates. I can quote hundreds of examples wherein suitability of such candidates has not been considered strictly. In the office of the comptroller and Auditor General, a stenographer has been made permanent but actually he does not know even typewriting.

I have already submitted a bill envisaging the amendment of article 335 of the constitution. It has been suggested therein that the words "Consistently with the maintenance of efficiency of administration" should be removed.

I also request the hon. Minister that Government should bring in this amending bill by themselves to avoid any sort of controversy. I am sure that unless these words are removed reservation for these people in the services can not be brought upto mark.

It has been observed that since the provision of reservation in promotion and appointment minimum educational qualifications for certain posts have been enhanced. Will the hon. minister tell as to what are those posts for which minimum qualifications have been increased particularly after the year 1963 ? The minimum qualification for the post of technical Assistant in Defence Department was B. A. but now it has been enhanced to M. A. (Math). The motive behind it, I feel, is that no candidate from the Harijan could be available for these posts and thus they could be offered to the candidates of general castes.

Condition of experience has also been imposed on the candidates seeking employment. Officer know fully well that candidates belonging to scheduled castes generally do not have any previous experience and with this plea they can disqualify them easily.

I gave notice of a question in this regard but the hon. Minister did not reply to it. In 1963 an examination was held in the Ministry of Home affairs for 170 posts of Section Officers. But no post was reserved for the scheduled caste candidates. May I know the reasons for it ?

It has also been observed that the rules governing seriously are being misinterpreted by the Ministry of Irrigation and Power and Ministry of Defence with the help of the Ministry of Home affairs. Will the hon. Minister t y to remove this injustice meted out to scheduled castes and scheduled tribes from his Ministry at least.

Sir,the man who was appointed as the Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes was against the interest of these persons. By chance,he is now on leave and his tenure has expired. As soon as he resumed his duties he tried to downgrade the post of commissioner. Not only this in the meeting of the National Intergration Council held in Kashmir he has suggested that the children of the scheduled castes and scheduled tribes should not be allowed to get education beyond matriculation. He has also suggested that there should be no reservation for them and they should not be represented on Public Service Commission and Promotion Committees.

In this context I demanded that he should not be granted extension otherwise he would certainly go against the interest of these poor people.

Several hon. members have demanded that employment to **Harijans-Adivasis** should be provided in the public undertakings. Their representation in these undertaking is quite negligible for example the total number of officers in Reserve Bank of India is 1175 while the number of scheduled caste officers in only six.

An order was issued by the Government to the effect that the entry "good" made in the confidential reports of scheduled castes employees would be treated as "very good" for the purpose of promotion. As a result of this order the officers deliberately tried to spoil their confidential reports. However those who have good reports should be given promotion on the basis of those orders. But the fact is that they are not given sympathatic treatment by the officers. I want to quote an example to this effect. Orders were issued in the P & T department on the 10th of the last month regarding the promotion from Engineering Supervisor to class two. A list consisting of 35 employees was issued. But, because in that list 22 persons were from scheduled castes, the orders were treated as held in abeyance on the 17th of that month. Now the officers are trying to get the permission of the Minister so that the interest of those 22 persons can be ensured by them. If you are really interested in fulfilling the quota of reservation in service you will have to implement the suggestion made by late Shri Ram Manohar Lohia. Dr. Shyama Prashad Mukerji also had suggested that until all the reserved posts were filled recruitment from the general castes should have been altogether stopped. These suggestions must be implemented.

Now I invite the attention of the hon. Minister towards the distribution of land among the scheduled castes and scheduled tribes. The hon. Minister has said that the matter pertaining to land distribution relates to the various state Governments as they are the real custodian of land. Central Government have no land at their possession. But my submission is that the land situated by both sides of railway lines is under the Central Government. It can be distributed among the Harijans by the Central Government. Similarly land under Union territories can also be distributed by the Central Government.

Sir, I did also point out that atrocities are being caused to Harijans by the police and the people of general castes. In Maharashtra the people of Scheduled castes and scheduled tribes are treated as animals and the common law of the country is not adhered to in that state. Besides, in the manual of Uttar Pradesh police it has been provided that the man required to work in the kitchen of the police line would be from high castes. May I know whether this kind of discrimination would be removed by the Government as soon as possible ? Government should issue certain directions and instructions in this regard.

Suggestion was also made that for providing the financial assistance to the people of scheduled castes and scheduled tribes a Finance Corporation should be set up and funds should be provided to that corporation by introducting weaker section Betterment levy on the big industrialists like Birla and Tata. Through this corporation these poor can get loans for purchasing pieces of land etc. and the Government can mortgage their land till the amount of loan is realised from them.

So far as the Housing problem is concerned the hon. Minister says that this matter is concerned with the Housing Ministry. But that Ministry says that no such matter is before us. Sir, it is on record. They also say that no separate amount has been fixed for them. I request the hon. Minister that some thing must be done for the betterment of these poor people.

I also suggest that the Department of Social Welfare should be kept under the ministry of Home affairs.

The hon. Minister has placed an argument regarding the delay in brining the reports for discussion. He has said that there exists a Parliamentary Committee on Scheduled castes and Scheduled tribes to consider over these reports. May I know whether the committee has gone through these reports ? I do not think so. Thus his argument was only for the sake of argument.

In the end I request the hon. Minister that he should try to implement all the suggestion made here.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966–67, 1967–68 और 1968–69 के 16 वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदनों पर जो क्रमश: 24 अप्रैल, 1968, 15 मई, 1969 तथा 30 मार्च, 1970 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

जल-दूषण निवारण विधेयक
PREVENTION OF WATER POLLUTION BILL

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : महोदय, राज्य सभा में जल-दूषण निवारण विधेयक, 1969

पर विचार हो चुका है और 18 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि इस विधेयक को दोनों सदनों की 36 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये जिसमें 12 सदस्य राज्य सभा के हों और 24 सदस्य इस सभा के हों। राज्य सभा ने यह भी स्वीकृत किया कि आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक यह समिति अपना प्रतिवेदन दे कर लेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 18 अगस्त, 1970 की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में की गई तथा 19 अगस्त, 1970 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो कि यह सभा जल प्रदूषण के निवारण और जल की स्वास्थ्य प्रदक्षता को बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिये, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना के लिए, उनसे सम्बन्धित कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने के लिए और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि लोक सभा के निम्नलिखित 24 सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाये, अर्थात् :-

(1) श्री अंकिनीडू
(2) श्री राम सिंह अयरवाल
(3) श्री न० ता० दास
(4) श्री गं० च० दीक्षित
(5) श्रीमती गंगा देवी
(6) श्री तुकाराम गेविट
(7) श्री गाडिलिंगन गौड
(8) श्री समर गुह
(9) कुमारी कमला कुमारी
(10) श्री जी० वाई० कृष्णन्
(11) हाजी लुत्फल हक
(12) श्री यमुना प्रसाद मण्डल
(13) श्री धुलेश्वर मीना
(14) श्री मोहन स्वरूप
(15) श्री ब० सू० मूर्ति
(16) श्री केदार पास्वान
(17) श्री राम चरन
(18) श्रीमती तारा सप्रे
(19) श्री रामावतार शास्त्री
(20) श्री तु० मू० सेट
(21) श्री सत्य नारायण सिंह
(22) श्री शिवशंकरन
(23) श्री राम चन्द्र उलाका
(24) श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 18 अगस्त, 1970 की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में की गई तथा 19 अगस्त, 1970 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो कि यह सभा जल प्रदूषण के निवारण और जल की स्वास्थ्य प्रदक्षता को बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिये, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना के लिए, उनसे सम्बन्धित कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने के लिए और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले

विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि लोक सभा के निम्नलिखित 24 सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाये, अर्थात् :—

(1) श्री अंकिनीडु
(2) श्री राम सिंह अयरवाल
(3) श्री न० ता० दास
(4) श्री गं० च० दीक्षित
(5) श्रीमती गंगा देवी
(6) श्री तुकाराम गेविट
(7) श्री गाडिलिंगन गौड
(8) श्री समर गुह
(9) कुमारी कमला कुमारी
(10) श्री जी० वाई० कृष्णन्
(11) हाजी लुत्फल हक
(12) श्री यमुना प्रसाद मण्डल
(13) श्री धुलेश्वर मीना
(14) श्री मोहन स्वरूप
(15) श्री ब० सू० मूर्ति
(16) श्री केदार पास्वान
(17) श्री राम चरन
(18) श्रीमती तारा सप्रे
(19) श्री रामावतार शास्त्री
(20) श्री तु० मू० सेट
(21) श्री सत्य नारायण सिंह
(22) श्री शिवशंकरन
(23) श्री राम चन्द उलाका
(24) श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य
ON THE FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में दूसरा अनुपूरक वक्तव्य **सभा पटल पर रखता हूं**।

पश्चिम बंगाल तथा आसाम में मछली की सप्लाई में कमी के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE. SHORTAGE OF FISH SUPPLY IN WEST BENGAL

सभापति महोदय : सभा मछली की कमी के सम्बन्ध में श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, पश्चिम बंगाल तथा आसाम में मछली का तीव्र अकाल पड़ा हुआ है। आसाम 16 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो तक मछली बिक रही है तथा पश्चिम बंगाल में 10 रुपये से 14 रुपये तक प्रति किलो मछली बेची जा रही है।

इसका प्रमुख कारण देश का विभाजन है। यह एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व था परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही है। इन क्षेत्रों के लोग अपने भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिये मछली पर ही निर्भर रहते हैं तथा प्रोटीन प्राप्त करने का वहां

दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है । विश्व में मछली उपभोग बढ़ गया है परन्तु पश्चिम बंगाल तथा आसाम में जो मछली खाने वाले क्षेत्र हैं यह ऊंचे मूल्यों और मछली की अनुपलब्धन के कारण, घट गया है । इससे लोगों का पोषण ठीक ढंग से नहीं होता है । भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी वहां के लोगों का स्वास्थ्य गिर जाएगा एवं वे मानव स्तर से नीचे गिर जायेंगे। मैं सरकार को यह बातध्यान में रखने के लिये चेतावनी देता हूं परन्तु मुझे आशा नहीं है कि वह स्थिति की गम्भीरता पहचानेगी । पश्चिम बंगाल में मछली की कमी का कारण कांग्रेस का निहित स्वार्थों के साथ गठ-बन्धन और में खाद्यान्न आदि में राजनीति लाना है । विश्व के मछली खाने वाले देशों की तुलना में हमारे देश का स्थान सबसे अन्त में आता है । मैं एशियाई देशों के आँकड़े दे रहा हूं जहां रहन-सहन स्तर कोई अधिक ऊंचा नहीं है। कोरिया में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली का उपभोग 37 किलो है; चीन में 31 किलो और भारत में 2.7 किलो है । केन्द्र सरकार की ओर जो लोग मत्स्यपालन की बृद्धि को क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं, उनकी यह बहुत बड़ी असफलता है ।

पश्चिम बंगाल का तटीय भाग 85 किलोमीटर है जहां मछली पकड़ने का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है । वर्ष 1967–68 के प्राक्कलन समिति के 40 वें प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रारम्भ में बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने के उद्योग के लिये सर्वेक्षण उचित ढंग से नहीं किया गया । किसी विशेष दिन कलकत्ता की जन संख्या 55,50,145 होती है तब लगभग 80,900 मीट्रिकटन मछलियों की उन्हें आवश्यकता होती है परन्तु उनकी कुल आवश्यकता के 40 प्रतिशत से अधिक उन्हें नहीं मिलती है । पश्चिम बंगाल को लगभग 139 लाख मन मछलियों की आवश्यकता होती है । वहां वार्षिक उत्पादन केवल 70 लाख मन है और 20 मन का आयात करना पड़ता है । इस समस्या को भिन्न भिन्न प्रणालियों से सुलझाया जा सकता है । मीठे पानी की घरेलू मछलयिां पाल कर, गहरे समुद्र में मछली पकड़ कर, खारी पानी की मछली पकड़ कर, और गैर-सरकारी साधनों के माध्यम से दूसरे राज्यों से आयात करके उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये । केन्द्रीय मत्स्य निगम और भारत सरकार द्वारा मछवा नाव आदि उपलब्ध करके मछली पकड़ने के उद्योग में बहुत ही कम कार्य किया गया है । तालाबों के विकास का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था परन्तु भ्रष्टाचार फैलने और और राजनीतिक हितों को पूरा करने के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं हुआ । सरकार नेइस समस्यापर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया है ।

वर्ष 1963 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और तटीय मछली उद्योग.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिये अपना भाषण बन्द करें । सदन में गणपूर्ति नहीं है । घंटी बज रही है ।

दो बार घंटी बज चुकी है फिर भी सदन में गणपूर्ति नहीं हुई है । सभा अनिश्चित काल के लिये स्थागित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थागित हुई ।

The Lok Sadha then adjourned sine die.

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3